पंचदीप भारती

वर्ष–2016 अंक–12

मुख्यालय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

www.esic.nic.in, www.esic.in, www.esichospitals.gov.in

www.facebook.com/esichq @esichq

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

27वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन

11–12 अगस्त, 2016, द्वारका (गुजरात)

पंचदीप भारती

(छमाही प्रकाशन)
बारहवां अंक
वर्ष 2016

प्रधान संरक्षक
दीपक कुमार, भा.प्र.से.
महानिदेशक

संरक्षक
डी. लाहिड़ी
बीमा आयुक्त

मार्गदर्शक
उपेन्द्र शर्मा
निदेशक (राजभाषा प्रभारी)

संपादक
श्याम सुंदर कथूरिया
उप निदेशक (राजभाषा)

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं की मौलिकता, उनमें व्यक्त विचार एवं तथ्यों का उत्तरदायित्व संबंधित लेखक का है। इनसे संपादकीय या विभागीय सहमति आवश्यक नहीं है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सभी कार्मिकों से सुझाव/टिप्पणी तथा अप्रैल, 2017 में प्रकाश्य अंक के लिए पूर्णतः मौलिक एवं अप्रकाशित रचनाएं फरवरी, 2017 के अंत तक फोटो, पता एवं दूरभाष संख्या सहित आमंत्रित हैं।

प्रकाशक
राजभाषा शाखा, मुख्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन, सी.आइ.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
दूरभाष : 011-2324092 (वि. 431)
फैक्स : 011-23234537, 23239867
वीओआइपी : 10011080
ई–मेल : ss.kathuria@esic.in
वेबसाइट : www.esic.nic.in

मुद्रक : **जीवन ऑफसैट प्रेस**
दूरभाष : 9873870464
ई–मेल : jewanpress@gmail.com

(केवल निःशुल्क सीमित वितरण के लिए)

पत्रिका में नेट पर उपलब्ध चित्रों का साभार उपयोग किया गया है।

विषय	पृष्ठ संख्या
संदेश	2–4
संपादकीय	5
क्या है पंचदीप भारती	6
भारत का संविधान – प्रादेशिक भाषाएं	7–9
औरतें भी कितनी अजीब होती हैं	10
टाइपिंग जाने बिना हिंदी में टाइप करें	11–12
सहयात्री	13
सोने की चिड़िया	14–15
प्रशासनिक अधिकरण एवं याची का कथन	16–22
वो प्यार कहाँ देखा होगा	23
भाषा	23
क.रा.बी. निगम में 27वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन	24–25
निगम कार्यालयों में हिंदी कार्यशाला का आयोजन	26
संसदीय राजभाषा समिति निरीक्षण	27
निगम मुख्यालय में राजभाषा गतिविधियाँ	28
फैशन में करियर	29
आधुनिक युग का सच	30
विद्या–रमन	31
अमृतवाणी	31
स्वदेश प्रेम	32
ज़िंदगी	32
जीवन उपदेश	32
उत्तराखंड में आपदा	33
योग और जीवन	34–35
प्रभू इच्छा	36–37
जीवन की सार्थकता	37
हिंदी	37
मेरे साहब	37
घरेलू हिंसा	38–39
ग़ज़ल	39
राग सेवा का सजा लेना	39
सूफी संत 'बुल्लेशाह'	40–41
निगम मुख्यालय में वर्ष 2015–15 की हिंदी प्रगति रिपोर्ट	42–43
आपका पत्र मिला	44–47

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
पंचदीप भवन, सी.आइ.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110002
Website : www.esic.nic.in • www.esic.india.org

संदेश

यह देखकर प्रसन्नता होती है कि निगम मुख्यालय की हिंदी गृह पत्रिका **'पंचदीप भारती'** प्रत्येक छमाही में नए–नए आयाम स्थापित करती जा रही है। विभिन्न कार्यालयों एवं विद्वानों ने इसकी प्रशंसा की है, इसी क्रम में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), दिल्ली ने इसे प्रथम पुरस्कार से सुशोभित किया है। मुख्यालय के साथ–साथ निगम की अन्य इकाइयों के कार्मिकों ने भी इस पत्रिका को समृद्ध बनाने में सहयोग किया है, यह सराहनीय है।

'पंचदीप भारती' अनेक प्रकार की जानकारियों से ओतप्रोत है। इसके अवलोकन से साहित्य की विभिन्न विधाओं और राजभाषा हिंदी से संबंधित अनेक उपयोगी सूचनाएं मिलती हैं। पत्रिका का प्रकाशन नियमित और सुचारु रूप से होता रहे, यही मेरी कामना है।

(दीपक कुमार)
महानिदेशक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
पंचदीप भवन, सी.आइ.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110002
Website : www.esic.nic.in • www.esic.india.org

संदेश

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय की छमाही हिंदी पत्रिका **'पंचदीप भारती'** का 12वाँ अंक हिंदी दिवस के अवसर पर आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है । इतने कम समय में पत्रिका का आगामी अंक प्रस्तुत करने के लिए मैं राजभाषा शाखा की प्रशंसा करता हूँ। इस पत्रिका के माध्यम से राजभाषा से संबंधित जानकारी तथा निगम कार्मिकों के उपयोगी विचार आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। हमारे पाठक भी इसमें प्रकाशित सामग्री का गंभीरतापूर्वक अध्ययन करते हैं। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), दिल्ली ने इसके नौवें एवं दसवें अंक को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है। यह सम्मान हमारे लिए प्रेरणादायक है।

सभी को बधाई, मंगलकामना सहित,

(डी. लाहिडी)
बीमा आयुक्त

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
पंचदीप भवन, सी.आइ.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110002
Website : www.esic.nic.in • www.esic.india.org

संदेश

यह जानकर प्रसन्नता हुई कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय की हिंदी गृह पत्रिका **'पंचदीप भारती'** का बारहवां अंक प्रकाशित हो रहा है। अपनी अल्प–यात्रा में यह पत्रिका नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), दिल्ली से कई बार पुरस्कृत हो चुकी है। यह उपलब्धि वस्तुतः पत्रिका को अपनी रचनाओं से अलंकृत करने वाले लेखकों और संपादन समूह का सम्मान है। आशा है, पत्रिका की उत्कृष्टता को सँवारने वाले सभी घटकों का समन्वय इसी प्रकार बना रहेगा।

शुभकामनाओं सहित,

(उपेन्द्र शर्मा)
निदेशक(राजभाषा प्रभारी)

संपादकीय

पंचदीप भारती में योगदान करने वाले सभी रचनाकारों को हार्दिक बधाई। आपके रचना कौशल के परिणामस्वरुप ही पंचदीप भारती को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), दिल्ली ने वर्ष 2015–16 के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसी भी प्रकार का पुरस्कार या प्रोत्साहन हमें सतत् रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है। अब हमारा लक्ष्य होना चाहिए, कि हम इस उपलब्धि पर खरे सिद्ध रहें। हम इस दिशा में पूरी तरह प्रयासरत हैं। अब केवल आपका सहयोग अपेक्षित है।

प्रस्तुत अंक के रचनाकार सामान्यतः व्यावसायिक नहीं हैं। उनकी रचनाएं बिना किसी पारिश्रमिक के स्वांतः सुखाय हैं। इनमें से कुछ नए लेखक तो ऐसे हैं, जिन्होंने पहली बार लिखा है। मैं उनके उत्साह को प्रणाम करता हूँ। वस्तुतः सरकारी कार्यालयों से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं ऐसे ही कार्मिकों के लिए अभिव्यक्ति का एक मंच होती हैं। यद्यपि इन नई रचनाओं को परिमार्जित किया गया है, ताकि आप सुधी पाठकों को ये रचनाएं पसंद आ सकें।

समग्रतः इस अंक की रचनाओं में विविधता है। इसमें कविता, कहानी, निबंध आदि के साथ–साथ राजभाषा विभाग, भारत सरकार के निदेशानुसार राजभाषा संबंधी लेखों का यथोचित समावेश किया गया है।

आशा है कि पूर्व अंकों की भांति यह अंक भी आपको पसंद आएगा और आपकी स्नेह वृष्टि होती रहेगी।

(श्याम सुंदर कथूरिया)
उप निदेशक(राजभाषा)

क्या है पंचदीप भारती

उमाशंकर मिश्र
सहायक
उप क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी

पंचदीप भारती के लेखों की आदि व इति
यद्यपि बहुत पुरानी है।
वृक्षों, लताओं, पौधों, परिन्दों की
ये अनमोल कहानी है।।
सच का सामना, सत्य का उद्घाटन
तथ्यों का साक्ष्य इसकी रवानी है।
सृष्टि का सारगर्भित, जलवायु का इतिहास,
यत्र–तत्र पड़े तृण रूपों को ये पहचानी है।।
बढ़े कार्य–सीमा, हिंदी का हो प्रसार
पंचदीप भारती के लेखकों ने ऐसे ही ठानी है।
खत्म हो अंध–विश्वास, सामने आए हकीकत, वैज्ञानिकता
ऐसी ही पंचदीप भारती ने तलवार तानी है।।
वंदे मातरम, भारत माता की जय, महान हिन्दुस्तान
इसी आधारशिला पर पंचदीप भारती की कहानी है.....।

हमारी राष्ट्रभाषा की पावन गंगा में देशी और विदेशी सभी प्रकार के शब्द मिल–जुलकर एक हो जाएंगे।
– डॉ. राजेंद्र प्रसाद

भारत का संविधान – प्रादेशिक भाषाएं

डॉ. पन्ना प्रसाद
पूर्व संयुक्त निदेशक (राजभाषा)
मुख्यालय, क.रा.बी. निगम

जिस समय भारत का संविधान लिखे जाने की प्रक्रिया चल रही थी और पूरे देश के लिए एक सर्वमान्य राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की स्वीकृति बन रही थी, उस समय प्रांतीय भाषाओं की अस्मिता का प्रश्न भी विचारणीय हो गया था। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के चुने गए प्रतिनिधि अपनी–अपनी प्रांतीय भाषाओं के विकास और समृद्धि के प्रति पूरी निष्ठा और सजगता के साथ प्रयत्नशील थे। सभी को इस बात की आशंका थी कि संविधान द्वारा भारत संघ की एक भाषा स्वीकृत हो जाने के बाद वही भाषा केंद्र सरकार की भाषा बन जाएगी और राज्यों को भी केंद्र सरकार से व्यवहार करते समय उसी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, राज्य में भी उसी भाषा का व्यवहार होगा और किसी अन्य राज्य से पत्र–व्यवहार करते समय भी उसी एक भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में उनकी समृद्ध प्रांतीय भाषा का कोई उपयोग नहीं रह जाएगा और लगातार उपयोग न होने से वे भाषाएं धीरे–धीरे लुप्त हो जाएंगी। उनकी आशंका सही थी। भाषा अपने प्रयोग के सहारे जीवित रहती है, जब उसके अपनाने वाले ही नहीं रह जाएंगे तो भाषा किनके सहारे बढ़ेगी। यह वह समय था जब राष्ट्रभाषा का प्रश्न पीछे छूट गया था। संविधान सभा के सदस्यों ने मान लिया था कि पूरे देश के सभी कार्य–व्यवहार के लिए एक सर्व–स्वीकृत भाषा का चुनाव करना आसान नहीं है इसलिए उचित होगा कि राष्ट्रभाषा के स्थान पर 'सरकार की भाषा' का चुनाव किया जाए और उसे 'राजभाषा' नाम दिया जाए। सरकार इसी भाषा में अपने काम–काज करेगी। यह संविधान में स्वीकार की गई एक अधिकृत भाषा होगी। लेकिन प्रांतीय भाषाओं के अस्तित्व का जो संकट राष्ट्रभाषा के समय था, वह तो अब भी विद्यमान था। संविधान में भारत के जिस संघीय स्वरूप को स्वीकार किया गया, वह तो विभिन्न राज्यों का एक संवैधानिक समुच्चय था जिसमें शामिल होने वाले राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व भी था। ऐसी स्थिति में उन राज्यों की तत्–तत् भाषाओं का स्वतंत्र अस्तित्व अक्षुण्ण रखना आवश्यक था। उस समय सभी विमर्शों का यही केंद्रीय प्रश्न था। उसी को लेकर संविधान में राजभाषा के उपबंध के प्रारूप में अनेक संशोधन प्रस्तुत किए जा रहे थे। इस विषय में सबसे मुखर स्वर था पंडित रविशंकर शुक्ल का। वे तत्कालीन बम्बई प्रांत के मुख्यमंत्री रहे थे। बम्बई प्रांत, मध्य प्रांत और बम्बई को मिलाकर बनाया गया एक बड़ा राज्य था। वह मध्य प्रांत और बम्बई आजकल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के नाम से जाने जाते हैं। संविधान सभा में दिनांक 13.09.1949 को राजभाषा पर हो रही मैराथन चर्चा में पंडित जवाहर लाल नेहरू के भाषण के बाद श्री शुक्ल का भाषण था। उन्होंने अपने वक्तव्य की शुरुआत करते हुए कहा था, "अभी हमने सदन के अनेक प्रमुख सम्माननीय

सदस्यों के भाषण सुने। अपने देश के ऐसे प्रख्यात व्यक्तियों का विरोध करने में काफी परेशानी होती है, किंतु राष्ट्रों के इतिहास में ऐसे अवसर आते हैं जब अपनी बात कह देने के अतिरिक्त, हमारे पास अन्य कोई विकल्प नहीं बचता। मैं केवल विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहा हूँ। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं अपना मत प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ।" उन्होंने अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हुए कहा कि "यह ठीक है कि हमने हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को एक उच्च आसन पर प्रतिष्ठित कर दिया है, किंतु हिंदी संबंधी अध्याय के उपबंध में कहा गया है कि केंद्र और राज्यों में भी पांच वर्षों तक अंग्रेजी को ही प्रशासनिक भाषा के रूप में जारी रखना होगा तथा अध्याय के अन्य भागों में और भी बाधाएं उपस्थित की गई हैं। आप देखेंगे कि प्रांतों में शीघ्रातिशीघ्र हिंदी को प्रचलित करना हमारे लिए कठिन होगा।" श्री शुक्ल ने बम्बई प्रांत में राज्य सरकार द्वारा हिंदी और मराठी की प्रगति और प्रसार के लिए किए जा रहे कार्यों का विस्तृत विवरण भी दिया। उन्होंने कहा – "हमने ऐसे विभागों की स्थापना का प्रयत्न किया जो हिंदी का प्रचालन शीघ्रातिशीघ्र संभव बना सकें। अपने प्रांत में मैंने लोक–भाषा और प्रचार विभाग की स्थापना की है। हमने ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया है जो पुस्तकों का अनुवाद करेंगे। समस्त वैज्ञानिक कार्यों के लिए चौबीस हज़ार शब्दों–पारिभाषिक शब्दों का कोश है। हमारे प्रांत में इंटरमीडिएट स्तर तक मान्य दोनों भाषाओं-हिंदी और मराठी में अनूदित वैज्ञानिक पुस्तकें हैं तथा सामग्री एकत्र कर ली गई है जिससे कि बी.ए. स्तर तक की भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र तथा उन सब विषयों, जो कि कठिन और यांत्रिक हैं, की पुस्तकों का हिंदी और मराठी में अनुवाद किया जा सके। वहाँ सब कुछ तैयार है, किंतु यहाँ प्रस्तावित अनुच्छेद के कारण उनका उपयोग संभव नहीं होगा।"

बम्बई राज्य में शिक्षा के माध्यम के रूप में किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए श्री रविशंकर शुक्ल ने कहा, "मेरे प्रांत में दो विश्वविद्यालय हैं। उनमें से एक ने तय किया है कि महाविद्यालयों में इस वर्ष या अगले वर्ष से शिक्षा का माध्यम हिंदी और मराठी होगा और दूसरे विश्वविद्यालय ने तय किया है कि सन् 1952 से हिंदी का शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग प्रारम्भ करेगा। हमने अपने प्रांत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग पूर्णतः बंद कर दिया है और सन् 1946 से हमारी उच्चशालाओं में हिंदी और मराठी के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। हमारे प्रांत में दोनों भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। जिन शालाओं, उच्च शालाओं में शिक्षा का माध्यम बंगला, उर्दू या अन्य कोई भाषा है, उन्हें हम अनुदान देते हैं। इसलिए मेरे प्रांत में तीन वर्ष बाद विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण स्नातक यदि अंग्रेजी भाषा के ज्ञाता नहीं हुए तो उनका राष्ट्र द्वारा उपयोग नहीं किया जाएगा और प्रांत बड़ी विचित्र स्थिति में पड़ जाएगा।" इसी प्रकार श्री शुक्ल ने न्यायालयों की भाषा में प्रांतीय भाषाओं के प्रयोग की वकालत की। उन्होंने अनेक उदाहरण देकर सिद्ध करने का प्रयास किया कि उस समय प्रस्तुत राजभाषा संबंधी उपबंधों में अंग्रेजी की आवश्यकता समाप्त की जाए और प्रांतों को हिंदी और अपनी विशेष प्रांतीय भाषा का प्रयोग करने से न रोका जाए।

प्रादेशिक भाषाओं के समर्थन में लगभग ऐसी ही बातें अन्य कई सदस्यों ने रखीं। उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी को तो स्वीकार कर लिया किंतु इससे प्रादेशिक भाषाओं की उनकी चिंता कम नहीं हुई। उड़ीसा विधान सभा के सदस्य श्री लक्ष्मीनारायण साहू ने संविधान सभा के सदस्य के रूप में अपनी बात रखते हुए कहा था कि "उत्कल का आदमी होते हुए भी इस बारे में मैं पूरी सहमति देता हूँ कि राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए। जो रेजोल्यूशन हम लोगों के सामने हैं, उस पर बहुत

यह हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इसके लिए हम सबको महान प्रयत्न करना है।
– कन्हैयालाल, मणिलाल मुंशी

विचार किया गया है और विचार करके इस प्रस्ताव को बनाया गया है। इसीलिए मैं इसका साधारण तौर से समर्थन करता हूँ। जब हम भारतवर्ष को एक राष्ट्र समझते हैं और बनाने के लिए कोशिश करते हैं तो ऑफीशियल लैंग्वेज ही क्यों, इसको नेशनल लैंग्वेज भी बोलना चाहिए। फिर यह राष्ट्रभाषा होते हुए भी प्रत्येक प्रदेश में जो भाषा है, उन भाषाओं में परिवर्तन करने के लिए कोई नहीं कहता है। इसलिए मैंने एक संशोधन का प्रस्ताव दिया है कि जब पांच वर्ष के बाद या दस वर्ष के बाद एक कमेटी या कमीशन बैठकर हिंदी भाषा को मजबूत करने के लिए कोशिश करेगा तो उसके साथ–साथ प्रांतीय भाषा को मजबूत करने के लिए भी कुछ ख्याल रखा जाए। हर एक प्रांत और हर एक प्रांतीय भाषा जब दृढ़ हो जाएगी तो हमारी राष्ट्रीय भाषा भी दृढ़ हो जाएगी। हिंदी भाषा–भाषी देश में ज्यादा तादाद में हैं और इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में यह न हो जाए कि प्रांतों की भिन्न–भिन्न भाषाएं, उनका साहित्य वगैरह लुप्त हो जाए। हर एक प्रांतीय भाषा की रक्षा होनी चाहिए। जो कमीशन या कमेटी बने, उसे इस तरफ ध्यान रखना चाहिए।"

संविधान सभा के ऐसे मेधावी और कर्मठ सदस्यों के तर्कपूर्ण ओजस्वी भाषणों का असर पड़ा। राजभाषा संबंधी प्रस्ताव में यथापेक्षित संशोधन स्वीकार किए गए और संविधान में प्रादेशिक भाषाओं को महत्व मिला। उनकी स्थिति स्पष्ट करते हुए संविधान के भाग–17 के अध्याय–2 में 'प्रादेशिक भाषाएं' का उपबंध लिखा गया जो अनुच्छेद 345 से 347 तक व्याप्त है। विवरण निम्न प्रकार है :–

अध्याय 2 – प्रादेशिक भाषाएं

345. राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं –

अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा :

परंतु जब तक राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

346. एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा –

संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी :

परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा।

347. किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध –

यदि इस निमित्त माँग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए, तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।

इस प्रकार, संविधान सभा के दूरदर्शी सदस्यों के अथक प्रयास से देश की विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं को संवैधानिक मान्यता मिली और उन भाषाओं की सदियों से चली आती हुई वाचिक और भाषिक परंपरा को देशव्यापी पहचान मिली। ऐसी बाईस भाषाओं को अब तक संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया जा चुका है किंतु अब भी अनेक ऐसी भाषाएं हैं जो बोलने वालों की संख्या, साहित्य और अभिव्यक्ति क्षमता से पूर्ण हैं और आठवीं अनुसूची में शामिल होने के लिए संविधान संशोधन की बाट जोह रही हैं।

औरतें भी कितनी अजीब होती हैं!

ऋतु वासन
निजी सचिव
मुख्यालय, क.रा.बी. निगम

औरतें भी कितनी अजीब होती हैं,
सच ही तो है .....
औरतें सच में बेहद अजीब होती हैं।

रात भर सोती नहीं पूरा, थोड़ा-थोड़ा जागती रहती हैं,
नींद की स्याही में उंगलियां डुबोकर दिन की बही लिखती हैं ।

टटोलती रहती हैं दरवाजों की कुंडियां, बच्चों की चादर, पति का मन,
और जब जागती हैं सुबह, तो पूरा नहीं जागतीं, नींद में ही भागती हैं।
सच ही तो है .....
औरतें बेहद अजीब होती हैं।

हवा की तरह घूमतीं घर और ऑफिस, टिफिन में रोज नया नाश्ता रखती,
गमलों में रोज बो देती हैं नई आशाएं,
खुद से दूर हो कर ही सब के करीब होती हैं,
सच ही तो है .....
औरतें बेहद अजीब होती हैं।

कभी कोई ख्वाब पूरा नहीं देखतीं, बीच में ही छोड़कर देखने लगती हैं
चूल्हे पे चढ़ा दूध, बच्चों के मोजे, पेन्सिल, किताब,
सहेलियों से लिए-दिए, चुकाए हिसाब,
न शौक से जीती हैं और न ठीक से मरती हैं,
सच ही तो है .....
औरतें बेहद अजीब होती हैं।

सूखे मौसमों में बारिशों को याद करके रोती हैं,
और जब एक दिन बूंदें सचमुच बरस जाती हैं,
फिजाएं सचमुच खिलखिलाती हैं,
तो ये सूखे कपड़ों, अचार, पापड़ और बच्चों को,
भीगने से बचाने को दौड़ जाती हैं।
सच ही तो है .....
औरतें बेहद अजीब होती हैं।

खुशी के एक आश्वासन पर पूरा जीवन काट देती हैं,
अनगिनत खाइयों को अनगिनत पुलों से पाट देती हैं,
सच ही तो है .....
औरतें बेहद अजीब होती हैं।

अंग्रेजी को भारतीय भाषा बनाने का यह अभिप्राय है कि हम अपने भारतीय अस्तित्व को बिल्कुल मिटा दें।
– प.क. रंगनाथ पिलल्याकर

टाइपिंग जाने बिना हिंदी में टाइप करें

श्याम सुंदर कथूरिया
उप निदेशक (राजभाषा)
मुख्यालय, क.रा.बी. निगम

सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में अब टाइपिंग सीखे बिना हम सुविधाजनक ढंग से हिंदी में टाइप कर सकते हैं। इस सुविधा के अंतर्गत आपको केवल हिंदी में बोलना है और बोले गए शब्द सीधे कम्प्यूटर पर टाइप हो जाते हैं। यह सुविधा गूगल ने उपलब्ध कराई है। गूगल की वॉइस टाइपिंग या वाणी लेखन सुविधा के माध्यम से अब टाइप करना अत्यंत सरल हो गया है। हम इस टूल/सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपनी आवाज़ के साथ श्रुतलेख द्वारा सीधे टाइप कर सकते हैं। कहने का आशय है कि यदि किसी व्यक्ति के पास हिंदी आशुलिपिक या टंकक नहीं है और वह स्वयं भी हिंदी टाइप नहीं जानता, तो भी वह स्वयं हिंदी में बोलकर टाइप कर सकता है।

वस्तुतः यह एक स्पीच रिकग्निशन सिस्टम है, जो आपके द्वारा बोली गई आवाज़ को पहचान कर उन्हें ध्वन्यात्मक चिह्नों के रूप में प्रदर्शित करता है, अर्थात यह वाक् से पाठ की सुविधा कही जा सकती है।

इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास सबसे पहले कम्प्यूटर में इंटरनेट सहित गूगल का क्रोम ब्राउजर होना चाहिए, क्योंकि फिलहाल यह सुविधा इसी पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कंप्यूटर में माइक्रोफोन भी जुड़ा हुआ है तथा वह काम भी करता है। यदि लैपटॉप में माइक्रोफोन उपलब्ध नहीं है तो हम इसके स्पीकर को ही माइक्रोफोन के रुप में प्रयोग कर सकते हैं। उपर्युक्त दो के अतिरिक्त, हमारे पास gmail खाते का यूज़र आइ डी तथा पासवर्ड होना भी आवश्यक है।

वाणी लेखन के लिए हमें सबसे पहले क्रोम ब्राउजर में http://google.com खोलना होगा। स्क्रीन पर सबसे ऊपर दाईं ओर गूगल एप्स पर माउस से क्लिक करने पर एक पॉपअप खुलेगा। उसमें अधिक(More) पर क्लिक करने पर गूगल डॉक्स एप्प पर क्लिक करना होगा। इसे gmail id से भी लॉग–इन करना आवश्यक होगा। अब गूगल डॉक्स में हम एक नया दस्तावेज खोल सकते हैं। नया डॉक्यूमेंट खुलने के बाद उसे यथापेक्षित नया नाम दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट में ऊपर मेनू बार दिखेगा। उसमें डिवाइस पर क्लिक करने से एक ड्रॉप डाउन दिखेगा, जिसमें voice typing या वाणी लेखन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही डॉक्यूमेंट के बाईं ओर माइक्रोफोन पॉपअप बॉक्स से भाषा अर्थात् हिंदी का चयन करेंगे। अब आप पाठ बोलने के लिए यदि तैयार हैं तो माइक्रोफोन बॉक्स पर क्लिक करें। क्लिक करते ही माइक्रोफोन लाल रंग का हो जाएगा, अर्थात् यह माइक्रोफोन सुनने के लिए तैयार है। अब आप सामान्य गति की ध्वनि से स्पष्ट रुप से अपने शब्द बोलें और आपके द्वारा बोला गया पाठ साथ–साथ टंकित होता जाएगा। यदि आप कुछ देर के लिए रुकना चाहते हैं, तो माइक्रोफोन पर क्लिक करें माइक्रोफोन प्रारंभ की भांति काले रंग का हो जाएगा, अर्थात अब यह टाइप नहीं करेगा।

हो सकता है कि आपसे बोलते समय कुछ त्रुटियां हो जाएं, तो उन त्रुटियों को दूर करने के लिए भी सुविधा प्रदान की गई है। यदि किसी गलती को सुधारना है, तो संपादन के अनेक विकल्प हैं। आप उस गलत शब्द की ओर कर्सर ले जाएं और उसे हटा कर माइक्रोफोन से पुनः बोलकर या की–बोर्ड से टाइप करके ठीक करें।

वाणी लेखन की विशेषताएं :–

गूगल का यह टंकण उपकरण अपने आप में अनेक विशेषताएं लिए हुए है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यदि आप किसी शब्द का उच्चारण सही नहीं भी करते हैं, तो भी यह अपने शब्द भंडार में से सही शब्दों को लेकर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आप की स्क्रीन पर ले आता है, अर्थात् इसमें वर्तनी संबंधी त्रुटियों की संभावना लगभग शून्य है, जबकि जब आप स्वयं टाइप करते हैं तो भी उसमें अनेक गलतियां हो सकती हैं, जो इसमें नहीं होतीं। इसमें यदि आप अपना उच्चारण शुद्ध रखते हैं, तो इसमें आपको कोई भी त्रुटि दिखाई नहीं देगी। इस डॉक्स सुविधा में आपको वे सभी विशेषताएं मिलती हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड डॉक्यूमेंट में मिलती हैं, अर्थात् यदि आप अपने डॉक्यूमेंट

को किसी भी तरीके से संशोधित, संपादित या डिजाइन करना चाहते हैं, तो आप इसमें कर सकते हैं। वाणी लेखन की यह सुविधा स्प्रेडशीट, प्रस्तुति, फॉर्म, रेखाचित्र और टेम्पलेट में भी उपलब्ध है।

आप अपने डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के बाद डेस्कटॉप पर पेस्ट करके प्रयोग कर सकते हैं, परंतु यदि आप चाहें तो इसे सीधे पीडीएफ, वर्ड, आरटीएफ, एचटीएमएल आदि रूप में भी डाउनलोड/मेल करके कहीं भी भेज सकते हैं। इसमें वर्तनीशोधक भी है, जो कहीं–कहीं माइक्रोसॉफ्ट में भी नहीं है।

इसकी एक और विशेषता यह है, कि इसमें टाइप किया गया डॉक्यूमेंट हमेशा आपके साथ रहता है। आपके द्वारा बोलकर टाइप किया गया दस्तावेज आप अपने मोबाइल में या कहीं किसी दूसरे कंप्यूटर पर गूगल अकाउंट के माध्यम से कभी भी–कहीं भी देख या संशोधन कर सकते हैं। यह सुविधा अपने आप में अद्वितीय है। इसमें सामान्य मानवीय टंकण की गति से भी अधिक तीव्र गति से बोलकर हम टाइप कर सकते हैं।

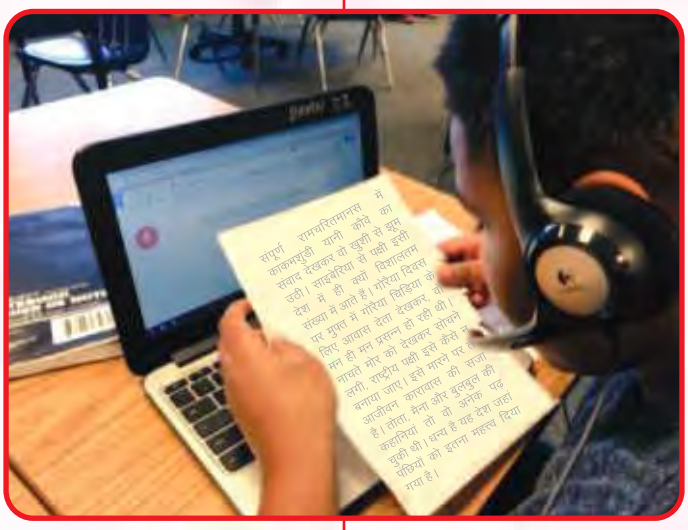

इस प्रकार आप कितने भी डॉक्यूमेंट टाइप करके अपने पास सहेज कर रख सकते हैं और आवश्यकतानुसार उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि आपको हिंदी टाइपिंग आती है, तो भी यदि आप इसका एक बार प्रयोग करते हैं, तो आप परंपरागत हिंदी टाइपिंग छोड़कर बार–बार इसका प्रयोग करना चाहेंगे।

इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है, कि यह सुविधा ऑनलाइन ही उपलब्ध है, अतः आपके पास इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना अनिवार्य है। आपके इंटरनेट की गति जितनी तीव्र होगी, आपको परिणाम भी उतना ही तीव्र और अच्छा मिलेगा।

गूगल की इस वाणी लेखन की सुविधा से पूर्व भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने सी–डैक के साथ मिलकर 'श्रुतलेखन राजभाषा' नामक सॉफ्टवेयर बनाया था, परंतु वह इतना सफल नहीं हो पाया और वह निःशुल्क भी नहीं था। अब गूगल की इस सुविधा का लाभ हम निःशुल्क उठा सकते हैं और यह न केवल हिंदी अपितु भारत और विश्व की अनेक भाषाओं में सुलभ है।

निस्संदेह गूगल ने सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया है। उसमें भी भाषा के क्षेत्र में गूगल की उपलब्धि अनूठी रही है। आने वाले समय में भाषा संबंधी अनेक नए उपकरण या टूल हमें देखने को मिलेंगे।

यहां यह बताना भी समीचीन होगा कि ऐसी ही केवल अंग्रेजी और हिंदी वाणी लेखन की ऑनलाइन सुविधा www.indiatyping.com पर भी उपलब्ध है। गूगल की अपेक्षा इसे प्रयोग करना सरल है। एक ओर जहां इसमें गूगल अकाउंट जैसी औपचारिकताएं नहीं हैं, तो वहीं दूसरी ओर गूगल जैसी सुविधाएं भी नहीं हैं।

सार रूप में कहा जा सकता है कि यह सुविधा दोष रहित है, इसमें टंकण कार्य जैसा मानवीय श्रम एवं समय नहीं लगता तथा हम अपने दैनंदिन कामकाज में इसका प्रयोग करके हिंदी को प्रोत्साहित और संवर्धित कर सकते हैं। यह सुविधा उन लोगों के लिए भी वरदान है जो स्वयं टाइपिंग नहीं करना चाहते, परंतु हिंदी में कार्य करना चाहते हैं। भारत सरकार का राजभाषा विभाग अब इस सुविधा का व्यापक प्रचार–प्रसार कर रहा है ताकि सरकारी कार्यालयों में अधिकाधिक कार्य हिंदी में हो सके। आप भी इस सुविधा का भरपूर उपयोग करें ताकि परंपरागत टंकण पद्धति या टंकक/आशुलिपिक पर आश्रित हुए बिना अधिकाधिक कार्य हिंदी में निष्पादित किया जा सके।

भारत की अखंडता और व्यक्तित्व बनाए रखने के लिए हिंदी का प्रचार आवश्यक है।
– महाकवि शंकर कुरुप

सहयात्री

डॉ. अरुण कुमार वार्ष्णेय
मु.चि.अ., एन.एफ.एस.जी.
चिकित्सा सतर्कता प्रकोष्ठ
निदेशालय(चिकित्सा), दिल्ली

धुंध को चीरते, आगे निकलते
दौड़ते–भागते, हाँफते–काँपते
तेज–तेज, बड़े–बड़े डग भरते
कुछ आगे बढ़ गए।
जो बाद में चले थे, पीछे थे
वो बगल से निकल गए
अपनी उधेड़बुन में – असंबद्ध!
अवसाद का गुबार
और उसके घेरे में चरण
थके–थके, थमे–थमे
पीछे छूट गए।
प्याज के छिलके सी
पर्त दर पर्त
उधड़ गई सच्चाई।
नये सहयात्री, यूँ ही नहीं बनते
अनुभव ना होता, तो पहचान भी ना पाते –
माथे की शिकन
बढ़ती उम्र की दस्तक
चोटिल – पलस्तर के सहारे
लंगड़ाते – तड़पते दर्द के मारे
जन्मजात विकृति से मुकाबला करते न्यारे।
दम लेने को, जो घड़ी भर ठहरे
वो कुछ दूर संग जाएंगे
फिर मुड़ जाएंगे, गुम हो जाएंगे
किन्तु ताजा रहेंगे, मेरी स्मृति में।
इनकी गति से संगति
है संभलना सिखाती –
दूसरे को पीछे धकेल कर
गिराकर, सीढ़ी बनाकर
आगे बढ़ना जहाँ एक कला है
वहाँ इसमें कैसे पारंगत हों
कई कलाकार इसी की ताक में हैं।

सोने की चिड़िया

उमाशंकर मिश्र
सहायक, उप क्षेत्रीय कार्यालय,
क.रा.बी. निगम, वाराणसी

विवशता अब लाचारी बनती जा रही थी। वो आज उदास, परेशान थी और हताश भी। परेशानियां बार–बार उस पर आक्रमण कर रही थीं। लेकिन वो जानती थी कि मुस्कुराहट, बिना दर्द के बेकार होती है। आज उसके वीज़ा का अंतिम दिन था। नियमतः उसे आज इस देश को जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है, छोड़कर इण्डोनेशिया जाना था।

बिना झिझक के उसने दूतावास से आए कर्मचारी और पुलिस वालों से कह दिया कि मैं रहूंगी तो इसी देश में, नहीं तो प्राण दे दूंगी। नहीं मैडम! हम लोग आपकी मदद करेंगे। यह इसकी प्रकृति है कि सभी लोगों को इस देश की जमीन शरण देती है।

उदयपुर की झील के किनारे घास के मैदान में बैठी वो पंछियों की अठखेलियां देख रही थी। आज मौसम बड़ा सुहावना था। बीच–बीच में बारिश से हवाओं में नमी आ रही थी। आसमान से गिरती बारिश की बूंदे, लहलहाते हरे–भरे पेड़–पौधे, उफान मारती झील की धाराएं, झरनों के बीच खूबसूरत लोकेशन, प्रकृति की खूबसूरती आज उसे आनन्दित कर रही थी। पाश्चात्य सभ्यताएं आज भारत की संस्कृति, सभ्यता, सत्कारों के सामने झुक चुकी थी। ये प्लास्टिक विदेशों की ही देन है ..., वह बुदबुदायी।

पंछियों की चहचहाहट, रम्भाती गाय, उछल–कूद करते ये पशु और उनके बछड़े, जगह–जगह पर मेंढ़कों के झुंड से और सिर पर पल्लू डाले खेतों में कार्य करती महिलाओं से वो प्रभावित होती जा रही थी।

चलो, वीज़ा बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए यहां बसने के लिए यानी नागरिकता के लिए राष्ट्रपति कार्यालय में आवेदन करूंगी। भिक्षा मांगना तो मेरा धर्म है, मिलेगी नहीं तो कम–से–कम भिक्षा पात्र तोड़ा तो नहीं जाएगा। उसे आज भी याद है, टैम्पो से टकराकर वो घायल थी तो किस देश ने इतनी आदरपूर्वक और इतनी आत्मीयता के साथ सेवा की थी, जबकि चिकित्सा करना उसका काम था और अन्ततः उसने अपनी फीस लेने से इंकार कर दिया था। नर्सिंग होम ने दवा की कीमत वेलफेयर फंड में डालकर उसका दिल जीत लिया था। इसी देश का नाम है हिन्दुस्तान, यानी सृष्टि का एक विशेष भाग।

लीजिए कॉफी, पानी में भीगती हुई एक महिला ने उसे हाथ में कॉफी थमा दी। प्रत्युत्तर में उसने थैंक्स न कहकर खुशी के दो बूंद आंसू गिरा दिए। यही है भारत की संस्कृति जिस पर विदेशों में शोध हो रहा है। हम बगलवाले से बिना पूछे, बिना उसे दिए, अकेले नहीं खाते। ।

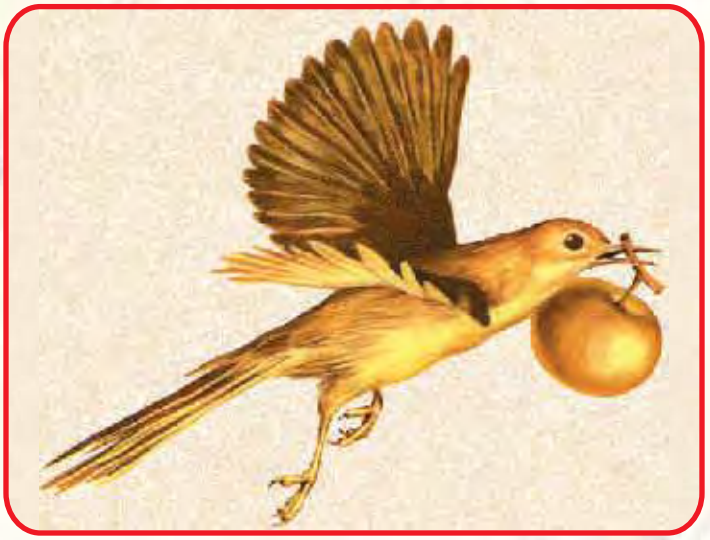

अब वो राष्ट्रपति कार्यालय में थी। सचिव ने प्यार से उसी भाषा में पूछा कि आपको क्या चाहिए। बैठिए, सचिव ने सत्कार से उसका मन मोह लिया था। प्लीज़ सिट, उसने भी हिम्मत करके कहा – 'योअर सेक्रामेंट इज वेरी फाइन' और वो रोने लगी। आंसुओं ने आवेदन में लिखे शब्दों को बयां कर दिया तथा आख्या और व्याख्या भी।

राष्ट्रीय मेल और राजनैतिक एकता के लिए सारे देश में हिंदी और नागरी का प्रचार आवश्यक है।
– लाला लाजपत राय

विचार होगा, आपको बताया भी जाएगा, आप परेशान न हों, चाय की प्याली सचिव ने अपने हाथों से ही उसके हाथों में दी थी। यही है भारत की अस्मिता, पहचान की परिभाषा। दूसरे दिन ही उसे दो कमरे का फ्लैट आबंटित कर दिया गया था। ग्यारह साल के लिए, बाद में बढ़ाने का आश्वासन भी दिया गया था।

वह शोध छात्रा थी। शोध का विषय था, पंछी, वो भी सोने की चिड़िया भारत में ही क्यों आती है, पक्षी–विज्ञान पर बहुत कुछ लिख चुकी थी, बहुत कुछ छप चुका था।

कभी कश्मीर की वादियां, तो कभी नैनीताल की सुंदरता, कभी राजस्थान के पहाड़, तो कभी तमिलनाडु के लहराते सागर, तो कभी गुजरात की नैसर्गिकता, तो कभी केरल की जमीं पर नारियल के पेड़ों की क्रमबद्धता। पंजाब चंडीगढ़ के खेतों में तो वो जाकर घंटों बैठकर रोती रहती थी।

भारत की झीलें, झील नहीं दिल हैं। प्राकृतिक सुंदरता से आच्छादित इन झीलों को मानो ईश्वर ने अलग से बनाया हो। पर्वतों से घिरे कन्दनबन और कन्दराओं में जगह–जगह तपस्या करते ऋषि–मुनि।

चारों ओर हरियाली, ऊंचे लहराते विशाल वृक्ष, वातावरण को शीतलता प्रदान करती ठंडी हवा के झोंके, यह मात्र कुदरत का तोहफा ही कहे जाएंगे, जिसके दीदार के लिए देश–दुनिया से लोग यहां आते हैं। हिमालय की कन्दराओं में बैठा साधु भी प्रसन्न है और झील के उस पार बैठा हताशा–निराशा में डूबा कारखाने का मजदूर भी खुश है। यही है मेरे देश की एक खूबसूरत झलक, वो लिखती गई। छह शास्त्रों में तीसरा शास्त्र–न्याय शास्त्र, एक घायल हंस पर लिखा गया। पदमावत् में एक तोता गुरु है, जो कथा को आगे बढ़ाता है। गुरु सेवा जेहि पंथ दिखावा। एक जटायु यानी पक्षी माता सीता की जान बचाने का प्रयास करता है। तीनों लोकों के विजेता रावण से लड़ जाता है। ज्ञान की देवी सरस्वती का वाहन ही हंस है। समृद्धता की प्रतीक लक्ष्मी का वाहन उल्लू यानी पक्षी ही है। महाशिवरात्रि के दिन नीलकंठ पक्षी को देखकर यहां का इंसान अपने आप को धन्य मानता है।

संपूर्ण रामचरितमानस में काकभशुंडी यानी कौवे का संवाद देखकर वो खुशी से झूम उठी। साइबेरिया से पक्षी इसी देश में ही क्यों विशालतम संख्या में आते हैं।

नाचते मोर को देखकर सोचने लगी, राष्ट्रीय पक्षी इसे कैसे न बनाया जाए। इसे मारने पर तो कारावास की सजा है। तोता, मैना और बुलबुल की कहानियां तो वो अनेक पढ़ चुकी थी। धन्य है यह देश जहां पंछियों को इतना महत्त्व दिया गया है।

पंछी प्रकृति की अनमोल धरोहर हैं, असहाय नहीं, इस शोध पर उसे राजस्थान विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रदान की और वो अब राजस्थान के एक डिग्री कॉलेज में प्रवक्ता थी। कक्षा आरम्भ होते ही उसका हिंदी में यह डायलॉग प्रसिद्ध हो गया कि "उन्मुक्त आसमान में उड़ान भरने वाले पक्षी की तरह इंसान को भी कर्त्तव्यों के आसमान में उत्साह और उमंग रूपी पंखा लगाकर उड़ान भरनी चाहिए। उड़ान भरना पंछियों की नियति होती है, मंजिलें नहीं। इंसान भी कर्म करना अपना दायित्व समझे, मंजिल नहीं।" सोने की चिड़िया के देश में चिड़िया को क्यों महत्त्व दिया गया है, यह वो समझ चुकी थी।

प्रशासनिक अधिकरण एवं याची का कथन

क्षेत्रपाल शर्मा
पूर्व संयुक्त निदेशक (राजभाषा)
मुख्यालय, क.रा.बी. निगम

सरकारी अथवा अन्य सरकारी सेवा संस्थानों में कार्यरत कार्मिकों की प्रबल इच्छा होती है कि उनका कार्यकाल निर्विघ्न रूप से पूरा हो। किसी संस्था, संगठन में काम करना भी प्रबंध के सूत्रों से बंधा है। कोई वरिष्ठ होगा तो कोई मातहत भी। हर व्यक्ति का एक मिजाज होता है। जैसे – समझ लीजिए Alexander Pope (अंग्रेजी कवि) की कविता The Village School Master, वह गांव का अध्यापक इसी भ्रम एवं दर्प में जीता है कि वह सबसे ज्यादा जानकार है।

प्रतिभास ब्लॉग पर प्रबंध का सूत्र इस तरह मुझे पढ़ने को मिला :– A bad workman (Manager पढ़ें) blames his tools (subordinates)। – अमंत्रं अक्षरं नास्ति, नास्तिमूलं औषधः। अयोग्य पुरुषः नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभः (शुक्राचार्य)। याद रखें, आप जैसे सिर्फ आप हैं। कठिन परिस्थिति में भी धीरज न खोएं, घर हो, या बाहर। अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें और हर क्षेत्र की जानकारी बढ़ाएं।

ऐसी ही एक पुस्तक मिली (यदि आप बॉस को टॉस न कर पाए हो तो) "Working with the enemy by Mike Leibling"। इसमें अप्रिय, चिड़चिड़े, बदमिजाज लोगों के साथ काम करने के तरीके/गुर बताए गए हैं।

याद रखें कि –

आप अपने अधिकारी का कहना मानने वाले हों, विनम्र हों उनके ऊपर नजर रखने, काम देखने के लिए आप सक्षम नहीं हैं। सक्षम अधिकारी का कार्य अर्ध–न्यायिक होता है।

बहुत से सीनियर तो अपनी छवि साफ रखने के लिए सस्ती लोकप्रियता एवं हथकन्डे अपनाते हैं।

कई तो अशोभनीय हरकत/कारस्तानी कर बैठते हैं। कुछ वार्तालाप भी अप्रिय करते हैं प्रवृत्तिवश, एवं बहुत कम मामलों में परिस्थितिवश। ऐसे व्यक्तियों का, दूसरों को डराने का अभिप्राय या उनका मकसद मजबूरी का फायदा उठाना व अपना उल्लू सीधा करना होता है। आप काम के दबाव में तनाव में रहेंगे, खीजेंगे, गुस्सा करेंगे तो क्या फायदा। उसका मतलब ही आपको भड़काना था। आप इसको भांपकर शांत हो जाइए।

यहां एक कहानी समझाना और अधिक अर्थ प्रकट करेगा। एक सुनार था। एक लुहार था। तो आवाज कुछ लोहे की तरफ से ज्यादा ही आ रही थी। तब सोने ने लोहे से कहा कि यार पिट तो हम भी रहे हैं फिर इतना रोना–धोना। तो जवाब था कि यार, तुम्हें कोई अपना नहीं पीट रहा। जब अपना अपने को पीटता है तो आवाज भी ज्यादा होती है और दर्द भी ज्यादा होता है।

इसी में आगे यह भी है कि जब अपना अपने पर चोट देता है, वह कुंद हो जाता है, धारदार नहीं रहता; चाहे वह बाप–बेटा ही क्यों न हों। जैसे – लोहा धरती से पैदा है, धरती पर वार करने से उसकी धार जल्दी ही खत्म हो जाएगी।

यहां मुझे गोवा में हुए अपने विदाई समारोह में एक सहकर्मी की बात याद आ रही है जिसने कहा था – इन्होंने (मैंने) सेवा काल में काफी लोहा लिया है। तुरंत ही सामने से एक तेज आवाज आई, लोहा नहीं लिया है बल्कि लकड़ी ने लोहे को काट दिया है।

लेकिन कार्यस्थल पर कभी सहकर्मी, तो कभी नियंत्रण अधिकारी ऐसे मिल जाते हैं, जो तनाव एवं कई समस्याओं को जन्म दे जाते हैं। ऐसे में यदि ऐसी आंच सेवा संबंधी मामलों पर आए तो सुरक्षा उपाय क्या अपनाने चाहिए, इसका सार–संक्षेप यहां समाविष्ट किया गया है, फिर भी इससे भी कहीं अधिक जानकारी उपलब्ध हो सकती है।

1. अपनी तरफ से सदैव सही कदम उठाएं। बोलचाल और लिखित भाषा शिष्ट हो।

2. गलती (इरादतन अथवा अन्यथा) हो जाने पर उसे बेझिझक स्वीकार करें।

हिंदी वह धागा है जो विभिन्न मातृभाषाओं रूपी फूलों को पिरोकर भारत के लिए सुंदर हार का सृजन करेगा।
– डॉ. जाकिर हुसैन

3. अपना पक्ष रखने का अवसर देखें तथा उसे प्रस्तुत करें।

4. जब चीजें हद से बाहर जाने लगें तो धमकी अथवा हिंसक–कार्य के मामले संबंधित थाने के साथ–साथ नियंत्रण अधिकारी के मौखिक एवं लिखित दोनों तरह से ध्यान में लाएं।

5. अपने से अधिक जानकार लोगों के संपर्क में रहें। एक से अधिक से राय लें।

6. मामला सिविल है तो सिविल कार्रवाई शुरू करने की पहल करें। मानवाधिकार से जुड़ा है तो नेशनल ह्यूमैन राइट कमीशन या एन.सी.डब्ल्यू. के ध्यान में लाएं एवं कंज्यूमर सर्विस से जुड़ा है तो कंज्यूमर कोर्ट में ले जाएं, जिसकी प्रक्रिया अति सरल है।

समस्याओं के निवारण के लिए केन्द्रीय सरकार एवं इसके स्वामित्व वाले कार्मिक केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, राज्य कर्मचारी अथवा इनके समतुल्यों को S.A.T. एवं औद्योगिक विवादों के निपटान के लिये श्रम न्यायालय/आयोग के यहां जाना चाहिए।

कई सरकारी डॉक्टरों ने मेरे सेवा–काल में सर्विस से जुड़ी समस्याओं से मेरी राय मांगी। ऐसे और भी तकनीकी पद हो सकते हैं जहां सेवा–नियमों की पूर्ण जानकारी का अभाव है। इन शिकायतों के लिए ध्यान रखें कि यदि आप केंद्र सरकार या उसके प्रतिष्ठान में हैं तो :–

1. उचित माध्यम से, आवेदन देने पर भी पर्याप्त समय व्यतीत (कहें एक माह) होने पर यदि समस्या का समाधान न हो तो आप सीधे मामले को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण संबंधित पीठ (Bench) में ले जा सकते हैं। अति महत्वपूर्ण मामले, जिनमें आसन्न हानि की संभावना हो, सीधे न्यायालय ले जाए जा सकते हैं।

2. आपके तथ्य आप से बढ़िया कोई नहीं जानता, कहां गलती/प्रक्रियात्मक गलती/अन्याय हुआ है उसका संपूर्ण स्वच्छ, ब्यौरा बनाएं और कोई भौतिक साक्ष्य न छुपाएं इस तरह ए4 साइज़ में डबल स्पेस देकर आवेदन तैयार कर सकते हैं।

कागज ए3, ए4 साइज, डबल स्पेस, हिन्दी अथवा अंग्रेजी में हाशिया बाएं 5 से.मी., दाएं 2.5 से.मी., आप स्वयं मामला लड़ सकते हैं या चाहे तो वकील रखें (धारा 23) और पृष्ठ पर नीचे दिनांक सहित हस्ताक्षर एवं नाम (रूल ऑफ प्रेक्टिस 93), आवेदन अधिकरण के लिए 3 सेट और हर पक्षकार के लिए अलग–अलग सेट। अधिकरण की भाषा अंग्रेजी है लेकिन बेन्च अपना आदेश हिन्दी में दे सकती है और तब उसका अंग्रेजी अनुवाद संलग्न रहेगा।

वह आदेश (सं.) जिसके विरुद्ध अपील/आवेदन किया गया है। क्या न्यायिक उपचार हैं, आपका विवरण क्या है तथा प्रार्थना के बाद सत्यापन, जिसे पृष्ठ 1 से .... तक अथवा क्र. 1 से क्र. .... तक, जो वक्तव्य हैं, उसे आप शपथनामा जैसा सत्यापन (प्रमाण/अनुलग्नकों) सहित देंगे। हर महत्वपूर्ण तथ्य के समर्थन में अनुलग्नक लगाएंगे। हर पृष्ठ के तल पर हस्ताक्षर या आद्यक्षर करेंगे। भाषा नम्र एवं शिष्ट होनी चाहिए।

राज्य एवं उसके अधीन कार्यालयों के कार्मिक राज्य प्रशासनिक अधिकरण एवं श्रम मामलों से जुड़े विवादों के लिये श्रम आयुक्त एवं श्रम न्यायालय में उठाये जाने चाहिए।

3. कैट (C.A.T.), एक न्यायिक अधिकरण, में कोई न्यायालय फीस अधिनियम लागू नहीं होता। केवल निर्धारित फीस ही लगती है। जो पचास रुपए का पोस्टल आर्डर है।

4. आप चाहें तो खुद मामले का अभिवचन कर सकते हैं, लेकिन वकील रखना अच्छा रहता है। चूंकि वकील महाशय प्रायः ऐसे तकनीकी सवाल उठाते हैं, जिनका आम–आदमी से सरोकार नहीं रहता, जैसे – लिमिटेशन एक्ट, पार्टी, laches, promissory, estoppel तथा res judicata आदि issues of fact, issue of law तथा point at issue का ध्यान रखें। समर्थ अधिकारी को यदि कोई discretion है तो उसका प्रयोग सर्वदा सकारात्मक ही करने के निदेश हैं।

यह भी याद रखें कि जो भी प्रशासनिक आदेश हैं वे केवल उत्तरव्यापी ही होते हैं।

मुझे याद है जब मैं स्वयं एक न्यायालय में उपस्थित हुआ तो मेरे सामने हाईकोर्ट के एक एडवोकेट थे। मामले को पेचीदा बनाते हुए वे कह रहे थे, कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगा। दुबारा, तिबारा जब पुनः उन्होंने ऐसा कहा तब मुझसे रहा न गया और मैंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि My lord, my honour may be protected। जब आप न्यायालय में उपस्थित हो ही गए हैं तो अपनी बात जोरदार ढंग से कहें, बार–बार कहें, पीड़ित आप हैं, इसलिए चुप न रहें। हियरिंग का मतलब ही है कि न्यायाधीश को आप सुनाएँ, मामला ये है। आप चुप रहे तो मुद्दई सुस्त वाली बात हो जाएगी। मामला Limitation का हो तो दस्तावेज सहित जिन कारणों से देरी हुई, देरी की माफी के लिए अलग आवेदन दें। विभागीय कार्रवाई में साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होते तथापि यह जरूरी है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन हो।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत (common sense justice) एवं अनुशासनिक प्रक्रिया :– विशेषकर अन्याय को रोकने एवं प्रशासनिक कानूनों को सही तरीके से लागू करने के उद्देश्य से है। भारतीय संविधान के भाग XIV में अनुशासनिक प्रक्रिया से संबंधित संवैधानिक उपबंधों का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 309 में संसद को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उनके सेवा से संबंधित मामलों में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 309 के परन्तुक में यह भी कहा गया है कि जब तक संसद द्वारा सेवा शर्तों के बारे में कानून नहीं बनाए जाते हैं राष्ट्रपति को इस संबंध में नियम बनाने के अधिकार हैं। केन्द्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1985 जो अनुशासनिक प्रक्रिया के बारे में है उसे राष्ट्रपति द्वारा, इसी अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अंतर्गत दिए गए अधिकारों के तहत बनाया गया है। सरकारी पद, संवैधानिक पद, फौजी पद, शैक्षणिक पद सभी अपने–अपने प्रकार के विशिष्ट पद हैं।

अनुच्छेद 310 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो कि केन्द्रीय सेवा/केन्द्र की रक्षा सेवा या पूरे भारतवर्ष के लिए किसी सेवा में है, वह राष्ट्रपति की इच्छा पर तब तक इस पद को धारण करेगा जब तक कि संविधान में स्पष्ट रूप से इससे इतर कुछ नहीं कहा गया हो। इस प्रकार राष्ट्रपति की इच्छा सर्वोपरि निरंकुश नहीं है। उदाहरण के लिए मुख्य न्यायाधीश एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जैसे संवैधानिक पद अपने पद का धारण राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार नहीं करते हैं। इसी प्रकार अनुच्देद 311 केन्द्र सरकार के कर्मियों को दो तरह की सुरक्षा प्रदान करता है।

1. किसी भी व्यक्ति को, उसे नियुक्त करने वाले प्राधिकारी से नीचे के पदाधिकारी द्वारा सेवा से मुक्त नहीं किया जा सकता है।

2. किसी भी व्यक्ति को उसके विरूद्ध लगाए गये आरोपों के बारे में बिना जांच के, जिसके लिए उसे सूचित किया जाएगा एवं उसे सुनने के लिए पर्याप्त अवसर दिए बिना, अपने पद से पदच्युत या सेवा से मुक्त या रैंक से नीचे नहीं किया जायेगा।

इस प्रकार अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 310 का ही एक परिणाम परन्तुक है। इस प्रकार राष्ट्रपति की इच्छा पर संविधान के अन्य अनुच्छेदों द्वारा अंकुश लगाया गया है। अनुच्छेद 311 केवल उन आदेशों के मामले में लागू है जहां पदच्युत किए जाने या सेवा से हटाये जाने या पदावनत किए जाने का आदेश हो। कर्मचारियों का प्रत्येक सेवा समाप्ति मामला इस अनुच्छेद में नहीं आता है। उच्चतम न्यायालय ने श्री पुरूषोत्तम ढींगरा बनाम केन्द्र सरकार (ए.आइ.आर. 1958 एस.सी. 56) के मामले में यह व्यवस्था दी है :–

(क) अनुच्छेद 311 की सुरक्षा दोनों स्थायी एवं अस्थायी कर्मचारियों के लिए है। तथापि यह उन अस्थायी कर्मचारियों या संविदा के तहत नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होती है, जहां उन्हें नियम/संविदा की शर्तों के आधार पर निकाला जाता है।

(ख) पदच्युति, सेवा से हटाना या रैंक को कम करना इन शब्दों का जिस रूप में अनुच्छेद 311 में प्रयोग किया गया है

मुझ जैसे लोगों को हिंदी व्यवहार के कारण धक्के ही खाने पड़ते हैं, लेकिन किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। वायसराय से भी अपनी भाषा में बात करो। – महात्मा गांधी

उसका आशय तीन बड़ी शास्तियों के बारे में है जो कि अनुशासनिक कार्रवाई के तहत किसी सरकारी कर्मचारी पर आरोपित की जा सकती है।

(ग) कोई भी बड़ी शास्ति आरोपित करने के पूर्व यह आवश्यक है कि सरकारी कर्मचारी को पर्याप्त अवसर दिया जाए।

उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी शासकीय कर्मचारी को दंडित किए जाने से पूर्व निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक को पूरा किया जाना आवश्यक है :–

(1) कि शासकीय कर्मचारी का उस पद/रैंक पर अधिकार है, अथवा

(2) वह बुरे परिणाम से भली–भाँति परिचित है।

पर्याप्त अवसर को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, तथापि दो बातों के बारे में कोई संदेह नहीं है कि –

(1) उसे कारण बताने का अवसर दिया जाना चाहिए एवं इस अवसर में लिखित एवं मौखिक दोनों तरह के साक्ष्य (प्राथमिक, द्वितीय एवं पारिस्थितिक) हो सकते हैं।

(2) यह अवसर तर्कसंगत होना चाहिए।

(3) दोनों ही पक्षों पर प्राकृतिक न्याय के ये सिद्धांत समान रूप से लागू होते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि इसके लिए किसी प्रकार का मापदण्ड हो ताकि यह देखा जा सके कि दिए गए अवसर उपयुक्त एवं तर्कसंगत हैं या नहीं। उच्चतम न्यायालय ने खेमचंद बनाम केन्द्र सरकार (ए. आई.आर. 1958 एस.सी. 300) के मामले में निर्णय दिया है कि तर्कसंगत अवसर में निम्नलिखित शामिल हैं :–

(क) वह की गई गलती को मानने से मना कर सके और अपनी निर्दोषता सिद्ध कर सके। वह यह केवल तभी कर सकता है, जब उसे उसके विरुद्ध लगाए गये आरोपों की जानकारी तथा वे आरोप किस आधार पर लगाए गए है, इसकी जानकारी उसे दी जाए।

(ख) उसे अपना बचाव करने के लिए अपने विरुद्ध खड़े किए गए गवाहों के परीक्षण का अवसर दिया जाए जिसे या तो वह स्वयं कर सके या उसके बचाव में खड़ा कोई गवाह। विभागीय कार्रवाई में यद्यपि कानूनी कार्रवाई विधिवत नहीं होती, जैसे – साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन किया जाना चाहिए। संभावना की प्रधानता में भी आशंका सोची गई थी वह बाद में पूरी भी होनी चाहिए। मिथ्या आक्षेप एवं तर्कहीन आधार पर किसी को भी दंडित नहीं किया जा सकता। यदि किसी कर्मचारी को किसी अन्य कर्मचारी की गलती से आर्थिक अनुचित लाभ मिल रहा हो और वह जानते हुए भी इसे छिपा रहा हो, तो यह संदेहजनक निष्ठा का मामला बनता है।

अनुशासनिक कार्रवाई अपने स्वरूप में न्यायिक कल्प कार्रवाई होती है, जो सक्षम अधिकारी को इस बात के लिए बाध्य करती है कि वह न्यायालय के न्यायाधीशों के बिना अपनी कार्यवाही में न्यायिक सोच रखे। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार बनाम एच.सी. गोयल (ए.आइ.आर. 1964 एस.सी. 364) के मामले में यह व्यवस्था की है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत न्यायिक कल्प कार्यवाहियों में लागू होते हैं। उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार बनाम टी.आर. वर्मा (ए.आइ.आर. 1957 एस.सी. 882) के मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की संक्षेप में इस प्रकार व्याख्या की है :–

"मोटे तौर पर इसकी व्याख्या करते हुए और इसे संक्षेप में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि प्राकृतिक न्याय के नियमों में यह अपेक्षित है कि पक्ष को यह अवसर मिलना चाहिए कि वह उन सभी साक्ष्यों को पेश कर सके जिन पर वह विश्वास करता है, विरोधी पक्ष के साक्ष्य उस (आरोपी) की उपस्थिति में लिए जाएं और उसे यह भी अवसर दिया जाए कि वह उस पक्ष द्वारा पूछताछ किए गए गवाहों से पुनः पूछताछ कर सके, और उसके विरुद्ध ऐसी किसी भी सामग्री पर तब तक विश्वास न किया जाए जब तक कि उसे इस संबंध में अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान न कर दिया जाए। जो लिखित दस्तावेज हैं, उनकी सत्यता एवं स्वीकार्यता दोनों पर सहमति ली जाए।"

कुछ ऐसी आकस्मिकताओं के लिए उपबंध अनुच्छेद 311 के परन्तुक में है, जहां अनुच्छेद 311(2) के उपबंध, जैसे कि जांच की कार्रवाई करना, लागू नहीं होते। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार बनाम टी.आर. वर्मा (ए.आइ.आर. 1959 एस.सी. 882) के मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को इस प्रकार दर्शाया है:—

स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय में शामिल है :— प्रशासनिक आदेश (जो सेवा मामलों में अर्ध—न्यायिक होता है) इस प्रकार खरा हो कि निर्णय करने वाले अधिकारी को कानून की समझ हो। उसमें अवैधता, तर्कहीन एवं क्रियाविधि अनौचित्य न हो।

1. दूसरे पक्ष को सुनना अर्थात् कोई यह न कहे कि उसे नहीं सुना गया। राज्य को अनुच्छेद 14 व 16 की भावनाओं का आदर/पालन करना चाहिए।

2. कोई भी स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं होगा और न अपने आदेश की समीक्षा कर सकेगा। आगे यह कि सरकार अनुमोदन/निरनुमोदन नहीं कर सकती।

3. न्याय किया जाना ही नहीं, बल्कि ऐसा लगना भी चाहिए कि न्याय किया गया है।

4. हर आदेश एक कथनादेश (speaking) होगा।

5. पद्धति का निर्वहन किया जाएगा, प्रतिपक्ष को आरोप, दस्तावेज, फोटो और तर्क के उत्तर देने का अवसर दिया जाएगा।

अधिनियम 1972 के अंतर्गत ही विभागीय जांच चल रही हो, उसके समक्ष जोरदार ढंग से मामला पेश करें। इसके तहत नियुक्त जांच अधिकारी किसी भी न्यायालय/कार्यालय से रिकॉर्ड मंगाने, गवाह की पेशी में एक सिविल कोर्ट के समान होता है।

1. जब किसी सरकारी कर्मचारी पर पहले ही आपराधिक आरोप के लिए पदच्युति, सेवा से हटाना अथवा रैंक में कमी की सजा निर्धारित की हुई हो तो उसके विरुद्ध कोई जांच नहीं बैठाई जाएगी।

2. जहां सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि जांच का बैठाया जाना पर्याप्त रूप से व्यावहारिक नहीं है, वहां जांच नहीं बैठाई जाएगी।

3. जहां राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो कि किसी व्यक्ति को सरकारी सेवा में रखे रखना देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकता है, वहां जांच नहीं बैठाई जाए।

उपर्युक्त (1) पर उल्लिखित आकस्मिकता के मामले में उच्चतम न्यायालय ने पहले ही यह व्यवस्था की है कि जहां किसी सरकारी कर्मचारी पर किसी आपराधिक मामले में आरोप सिद्ध हो चुका हो, वहां उस पर कोई बड़ी शास्ति आरोपित करने से पहले स्कैलटन इन्क्वायरी अवश्य कर ली जाए (टी. आकर चेलप्पन का मामला ए.आइ.आर. 75 उच्चतम न्यायालय)। तथापि तुलसी राम व अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह नियम बना दिया है कि यहां किसी सरकारी कर्मचारी को आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया जा चुका हो, वहां स्कैलटन इन्क्वायरी करवाए जाने की आवश्यकता नहीं। तथापि भारत सरकार ने इस संबंध में यह अनुदेश जारी किए हैं कि इस प्रकार के सरकारी कर्मचारियों पर कोई सजा आरोपित किए जाने से पूर्व उन्हें इस संबंध में कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए।

स्थापित सरकारी निदेशों को तब गहरा झटका लगा जब देवदत्त बनाम भारत संघ [2008(2) scc (1 & s)] पृष्ठ 771 में सर्वोच्च न्यायालय ने पारदर्शिता का सुदृढ़ उदाहरण प्रस्तुत किया कि हर प्रतिकूल बात, जो सरकारी कर्मचारी को आर्थिक रूप से हानि पहुंचाती हो, सूचित किया जाना जरूरी है।

हिंदी ही हिंदुस्तान के शिक्षित समुदाय की भाषा हो सकती है। अंग्रेजी विदेशी भाषा है। हिंदी 22 करोड़ की भाषा है। यदि हम भीरूता छोड़ दें और हिंदी का गौरव समझें तो सरकारी व्यवस्था का भी कार्यव्यापार हिंदी में चलने लगेगा। – महात्मा गांधी

जांच में केवल यह कथन कि मौखिक एवं परिस्थिति के साक्ष्य से आरोप सिद्ध हुए, शाह बनाम भारत संघ 4/2007 (ओए–10/2007 स्वा.न्यू.) अहमदाबाद के निर्णयानुसार साक्ष्य की पर्याप्तता के नियम को संतुष्ट नहीं करते। साथ ही रामचंद्र बनाम दिल्ली पुलिस (मुख्य पीठ) 4/2007 एओ 2465/2005 में साक्ष्य–हीनता पर आधारित किसी गलत निर्णय अथवा अनुमान आदि पर आधारित निर्णय पर ट्रिब्यूनल साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन कर सकेगा। यही मत सर्वोच्च न्यायालय ने कुलदीप सिंह बनाम आयुक्त, दिल्ली पुलिस [1998 (8) जे.टी (एससी)603] में दिया।

घटना के वक्त को कोई गवाह जांच नहीं कर सकता, नहीं तो वह विभागीय जांच शून्य होगी (स्वामी न्यूज पृ. 589, अगस्त–2001)। जांच अधिकारी किसी भी हालत में अभियोजक की भूमिका नहीं निभा सकेगा।

यह सूचना का युग है। सूचना के अधिकार से सूचना जुटाइए। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार एटीएम, इलैक्ट्रॉनिक अंतरण आदि के माध्यम से किए गए लेन–देन विधिक रूप से वैध हैं।

आप ऐसे धूर्त (जो आपके ही आस–पास हो सकते हैं) से सावधान रहें, जो झूठ को इस तरह यकीन मानने की कला में माहिर हैं। लेकिन ऐसा पूर्वाग्रह जिसमें कोई प्रतिकूल प्रभाव न हो तो छोड़ देने चाहिए। लेकिन ऐसे मुद्दे जिनको अभिवाक् नहीं किया है तो उन पर निर्णय भी नहीं हो सकता। निर्णय उन पर लेना है तो उन्हें मामले का मुद्दा बनाएं। तथ्य के मामले एवं कानूनी मामलों को अलग–अलग ध्यान में रखें। मुद्दई को अपनी बात जोरदार तरीके से रखनी चाहिए। यदि दूसरा पक्ष गुमराह कर रहा है तो उसी समय उस बात को "तोड़" देना चाहिए।

1. यदि दूसरा पक्ष काउंटर वादपत्र देने की बात करे तो आप साथ–साथ प्रत्युत्तर देने की बात/प्रार्थना करें।
2. यदि दूसरा पक्ष तारीख मांग रहा है, तैयार नहीं हैं तो न्यायाधीश से आप उस दिन का हर्जाना दिलाने की गुजारिश करें।
3. यदि शपथ–पत्र में आप कोई तथ्य गलत पाते हैं तो शपथ भंग का मामला शुरू करने की प्रार्थना दाखिल करें। तंग करने वाला (वेक्सेशिएस) मुकदमा न होने दें।

यहां ऐसे महानुभावों की कमी नहीं जो शाश्वत के लिए express rule होते हुए भी अपने स्थानीय राय/संकीर्ण विवेचनाओं से अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। Rules must be read harmoniously। अधिकांश मामलों में न्यायालय असद्भावना/जनहित आदि की परिभाषा सुस्पष्ट कर चुके हैं। वैसे सर्विस मामलों में पीआईएल नहीं होती। समान परिस्थिति के मामलों में ratio/in rem के आधार पर वही लाभ बिना न्यायालय में जाए राहत दी जानी चाहिए। [(स्वामी न्यूज., फर. 04) (vol. 90 part iv) (Sci p. 149) AISLJ, Dec. 05]

Malafide, defined by the Apex Court in State of Punjab v/s Gurdial Singh (1980(2) SCC 471, in a nutshell bad action arises where the sole object is to reach an end different from the one for which the power is entrusted, graded by considerations, good or bad, but irrelevant to the entrustment (Swamy's News page 64 Dec.2006).

गोपनीय रिपोर्ट – अब गोपनीय रिपोर्ट कार्यकलाप मूल्यांकन है, जिसमें निष्पक्षतावाद तथा वस्तुनिष्ठा हो। वैयक्तिक सुनवाई की जगह हो। संदेह के आधार पर किसी को दंडित नहीं किया जाए, संभावना की प्रधानता का सही निरूपण यह है कि व्यक्ति जिस संदेह को लेकर चले वह बाद में प्रमाणित भी हो जाए। जैसे– एक्स के कमरे में सुबह खाली बोतल मिले तो यह कि कोई पीता है। कौन पीता है? प्रथम तो जिसका कमरा है। लेकिन सच यह होगा कि कार्यालय बंद होने के बाद अचानक उस कमरे में जाया जाए और जो वहां मिले, उसे कसूरवार माना जाए।

दिल्ली जल बोर्ड बनाम महिन्दर सिंह [2000 SCC (L&S) 897] पृ. 68 स्वामी न्यूज (सित. 10) में यह फैसला हो चुका है कि पहले की चार्जशीट यदि निर्णीत हो चुकी हो तथा विभाग दूसरी चार्जशीट देता है तो सील कवर खोला जाना चाहिए और कर्मचारी उपयुक्त पाया जाए तो प्रमोशन आदि का लाभ (बिना दूसरी चार्जशीट के परिणाम की प्रतीक्षा किए) कर्मचारी को दिया जाए।

अंत में यह कहना है कि आप अपने काम को अच्छी तरह से जान लें, अपने आपको हर तरह की सूचना से युक्त रखें। कर्मचारी को अपने बचाव के सारे उपाय जिसमें सूचना का अधिकार, एन.एच.आर.सी., न्याय संबंधी, सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली, एन.सी.डब्ल्यू. ऐड आदि शामिल हैं, को अपनाएँ। परेशान करने के एक मामले में याची (लेखक) को कोलकता अधिकरण से ओ.ए. 1067/98 में 500 रुपए लागत अधिकरण ने 27 अक्टूबर 2000 को दिलाए। सही न्याय पाना और दिलाना न्याय विधान में बहुत बड़ा योगदान होता है। यह एक सामाजिक सेवा है।

बस बात एक चींटी की है। पत्ती–पत्ती चढ़ते आखिर नदी की धार में गिर गई। परेशान हाल। आखिर एक बहते हुए पत्ते पर चढ़ गई। पत्ते ने उसे किनारे लगा दिया। चींटी ने उतर कर धन्यवाद किया। पत्ते का जवाब था, धन्यवाद काहे का। मैं तो निरुद्देश्य बह रहा था। आपके काम आ गया।

सामान्य शब्दावली

allegation	आरोप
applicant	याची
defendant	प्रतिवादी
appellent	अपीलार्थी
respondent	प्रत्यर्थी
deposition	गवाही
misconduct	कदाचार
misbehaviour	दुर्व्यवहार
delegation of power	शक्ति का प्रत्यायोजन
guilt	अपराध बोध
proved	सिद्ध
not proved	सिद्ध नहीं
inquiry report	जांच रिपोर्ट
disproved	झूठा
purported	कथित
presenting officer	प्रस्तुति अधिकारी
Inquiry officer	जांच अधिकारी
verification	सत्यापन
Plaintiff	वादी
exhibits	प्रदर्श
cross examination	जिरह/प्रति परीक्षा
document	दस्तावेज
plaint	वाद पत्र
counter plaint	प्रतिवाद पत्र
rejoinder	वाद पत्र उत्तर
counter rejoinder	प्रतिवाद पत्र उत्तर
prosecution	अभियोजन
defence counsel	बचाव पक्ष वकील

हिंदी की उन्नति के लिए यह वांछनीय है कि हमारे अहिंदी उदार चरित देशभक्त भाई ही अहिन्दी प्रांतों में हिंदी का प्रचार करें।

वो प्यार कहाँ देखा होगा

अर्चना कपूर
सामाजिक सुरक्षा अधिकारी
मुख्यालय, क.रा.बी. निगम

खिलते गुलशन देखे तुमने,
पतझड़ कहाँ देखा होगा।
घुट–घुट और सिसक जो दम तोड़े,
वो प्यार कहाँ देखा होगा।
खिलते गुलशन देखे तुमने.....
सागर में सरि देखी होगी,
नभ छूती गिरि देखी होगी,
फूलों के चूमते लाल अधर,
शबनम की बूँद देखी होगी,
तूफाँ का विचरति नैया पर, प्रहार कहाँ देखा होगा।
खिलते गुलशन देखे तुमने.....
संगम तुमने देखा होगा,
संसार सजा देखा होगा,
हँस–हँस के बहाते पानी को,
तुमने निर्झर देखा होगा,
जो बूँद–बूँद को तरस रहा, उद्‌गार कहाँ देखा होगा।
खिलते गुलशन देखे तुमने.....
संयोग के क्षण देखे होंगे,
मिलते दो मन देखे होंगे,
प्रियतम के स्वागत को आतुर,
प्रिया के कंगन देखे होंगे,
जहाँ दिए जाएं घर में ताने, सत्कार कहाँ देखा होगा।
खिलते गुलशन देखे तुमने.....

भाषा

पल्लवी
बिज़नेस एनालिस्ट
क.रा.बी. निगम (पी.एम.यू.)
एन.आइ.एस.जी.

तुम तक थीं बातें पहुँचानी
मैंने रच डाली भाषा
सम्प्रेषण करने हेतु।
प्रकृति से था ज्ञान लिया
कुछ प्रयोग और बुद्धि लगा।
अंगों, इन्द्रियों को साध लिया।
हर विचार, हर भाव की फिर
अभिव्यक्ति को स्वरूप दिया
कुछ मौखिक
कुछ सचित्रित कर
संकेतों में ढाली भाषा
..... मैंने रच डाली भाषा।
जब तुम भी समझ सके इसे
और पूरण संवाद हुआ।
कहने, लिखने, सुनने का इसे
तब ही से है अस्तित्व मिला।
इसलिए तो मौलिक होकर भी
इतनी जनप्रिय
इतनी सुफला
हो पायी मेरी भाषा।
कहलाई अपनी भाषा
..... मैंने रच डाली भाषा।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 27वां

दिनांक 11–12 अगस्त, 2016 को द्वारका (गुजरात) में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के राजभाषा अधिकारियों का 27वां दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की व्यवस्था निगम मुख्यालय के तत्वावधान में क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम, अहमदाबाद द्वारा की गई। दिनांक 11.08.2016 को श्री दीपक कुमार, महानिदेशक, क.रा.बी. निगम की अध्यक्षता में सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इस दौरान मंच पर महर्षि श्रीकांत हनुमंत प्रसाद, पूर्व व्याख्याता, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय मुख्य अतिथि के रूप में; श्री डी. लाहिड़ी, बीमा आयुक्त (राजभाषा प्रभारी), मुख्यालय; श्री स्वदेश कुमार गर्ग, बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी; श्री अक्षय काला, क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद तथा श्री श्याम सुंदर कथूरिया, उप निदेशक (राजभाषा), मुख्यालय, क.रा.बी. निगम उपस्थित थे।

मंचासीन सभी अधिकारियों ने सम्मेलन की उपयोगिता पर प्रकाश डाला तथा इसकी सफलता हेतु कामना की। महानिदेशक महोदय ने आग्रह किया कि हमें स्वप्रेरणा से हिंदी में कार्य करना चाहिए और क्लिष्ट हिंदी से भी बचना चाहिए। अतिथि वक्ता ने इस बात पर बल दिया कि सबसे पहले हिंदी–भाषियों को ही हिंदी का प्रयोग बढ़ाना है। सम्मेलन में पूरे देश के विभिन्न क.रा.बी. निगम कार्यालयों/अस्पतालों से उपस्थित कुल 51 प्रतिभागियों ने अपना परिचय दिया।

महानिदेशक की अध्यक्षता में अपराह्न सत्र में, दिनांक 20–21 अगस्त, 2015 को गोवा में आयोजित 26वें राजभाषा अधिकारियों के सम्मेलन के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई और तत्संबंधी कृत कार्रवाई पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके बाद प्रतिभागी कार्यालयों द्वारा भेजी गई विचारणीय मदों पर विस्तृत चर्चा की गई।

अगले दिन अर्थात् 12.08.2016 को श्री डी. लाहिड़ी, बीमा आयुक्त (राजभाषा प्रभारी) की अध्यक्षता में श्री श्याम सुंदर कथूरिया, उप निदेशक (राजभाषा) ने प्रेज़ेन्टेशन के माध्यम से बताया कि किस प्रकार कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक, बिना कागजों के पीपीटी के माध्यम से की जाए। तत्पश्चात् राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके बाद, प्रतिभागियों द्वारा अपने कार्यालय/अस्पताल में राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित पावर प्वॉइंट प्रेज़ेन्टेशन दिखाए गए।

महानिदेशक महोदय की अध्यक्षता में आयोजित अंतिम सत्र के रूप में राजभाषा कार्यशाला में श्री श्याम सुंदर कथूरिया, उप निदेशक (राजभाषा) ने गूगल के ऑनलाइन हिंदी सॉफ्टवेयर वाणी लेखन (वॉयस टाइपिंग) का प्रयोग करके दिखाया। इसके अतिरिक्त राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने में उपयोगी अन्य आधुनिक हिंदी ई–टूल्स की जानकारी संबंधी पावर प्वॉइंट प्रेज़ेन्टेशन दिखाई गई। सभी दर्शकों ने इसकी सराहना की तथा श्री दीपक कुमार, महानिदेशक ने इसे सभी प्रतिभागियों को ई–मेल करने का निदेश दिया।

सभी प्रतिभागियों ने इस सम्मेलन की अत्यंत प्रशंसा की तथा निगम कार्यालयों में अधिकाधिक कार्य हिंदी में निष्पादित करने के संकल्प के साथ सम्मेलन का समापन करते हुए श्री श्याम सुंदर कथूरिया ने इसके सफल आयोजन के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद; सभी प्रतिभागियों, होटल प्रबंधन आदि के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया।

हिंदी एक संगठित करने वाली शक्ति है। हिंदी का प्रचार कार्य एक वाक्य है।
– काका साहब गाडगिल

ं अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन

निगम कार्यालयों में सर्वश्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन के लिए महानिदेशक महोदय 'ख' क्षेत्र में से क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ के प्रतिनिधियों को शील्ड प्रदान करते हुए।

निगम कार्यालयों में सर्वश्रेष्ठ पत्रिका प्रकाशन के लिए महानिदेशक महोदय 'क' क्षेत्र में से क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के प्रतिनिधि को प्रमाणपत्र प्रदान करते हुए।

सम्मेलन में करतल ध्वनि करता प्रतिभागी समूह।

निगम कार्यालयों में हिंदी कार्यशाला का आयोजन

उप क्षेत्रीय कार्यालय, एरणाकुलम

क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर

क्षेत्रीय कार्यालय, तृश्शूर

हिंदी का शृंगार राष्ट्रों के भागों ने किया है, वह हमारी राष्ट्र भाषा है।

– बंकिम चंद्र चटर्जी

संसदीय राजभाषा समिति निरीक्षण

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति द्वारा दिनांक 07.06.2016 को उप क्षेत्रीय कार्यालय, रोहिणी के निरीक्षण के दौरान उपाध्यक्ष द्वारा राष्ट्रपति के आदेशों का संकलन भेंट किया जाना।

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति द्वारा दिनांक 09.07.2016 को क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली का निरीक्षण।

दिनांक 07.06.2016 को उप क्षेत्रीय कार्यालय, रोहिणी के निरीक्षण के दौरान संसदीय राजभाषा समिति द्वारा मुख्यालय, क.रा.बी. निगम की हिंदी पत्रिका 'पंचदीप भारती' के 11वें अंक का विमोचन।

निगम मुख्यालय में राजभाषा गतिविधियाँ

वर्ष 2015–16 में निगम मुख्यालय की हिंदी पत्रिका पंचदीप भारती के नौवें और दसवें अंक को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), दिल्ली से प्रथम पुरस्कार।

दिनांक 16.06.2016 को निगम मुख्यालय में आयोजित हिंदी कार्यशाला में प्रतिभागी को प्रमाणपत्र प्रदान करते हुए बीमा आयुक्त।

दिनांक 27.06.2016 को बीमा आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित निगम मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 155वीं बैठक का दृश्य।

यदि हम लोगों ने तन, मन, धन से प्रयत्न किया तो वह दिन दूर नहीं जब भारत स्वाधीन होगा और उसकी राष्ट्रभाषा होगी हिंदी।
– सुभाष चंद्र बोस

फैशन में करियर

गरिमा पांडे
निजी सचिव
मुख्यालय, क.रा.बी. निगम

सुन्दर दिखना हर व्यक्ति की चाह होती है चाहे वह उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो और इस जरूरत को पूरा करता है फैशन उद्योग। आज के युग में फैशन उद्योग उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनमें रचनात्मकता है, नई शैली से कुछ कर गुजरने का जुनून है। यह रचनात्मक कैरियर, अपनी संतुष्टि के साथ–साथ लोगों को भारी वेतन का ग्लैमर भी देता है। फैशन संबंधी संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है :–

प्रशिक्षण एवं शिक्षा

जो बच्चे फैशन की दुनिया का हिस्सा बनने का औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है – फैशन डिजाइनिंग और प्रबंधन के क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना। फैशन के क्षेत्र में यदि तकनीकी कौशल आवश्यक है तो एक्सेल स्प्रेडशीट, कोरल ड्रॉ, एडोब फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पेंटिंग, ड्रॉइंग या फोटोग्राफी में विशेष तकनीकी कौशल हमेशा इस उद्योग की जड़ें पकड़े रहता है। यह एक विस्तृत क्षेत्र है और इसमें मानवीय संपर्क एवं नेटवर्किंग कौशल का भी एक सकारात्मक संबंध है।

फैशन डिजाइन

फैशन में प्रशिक्षण अलग–अलग उम्मीदवारों की व्यक्तिगत रुचि को संतुष्ट करता है। डिजाइनिंग में फैशन से जुड़े परिधान डिजाइनिंग, आभूषण डिजाइनिंग, फुटवियर डिजाइनिंग, लेदर डिजाइनिंग, एक्सेसिरीज, फैशन फोटोग्राफी, मॉडलिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग जैसे अनेक क्षेत्र हैं।

फैशन प्रबंधन

फैशन प्रबंधन, छात्रों को फैशन उद्योग के बारे में नवीनतम प्रौद्योगिकी, तकनीक और प्रवृतियों को सामाजिक और जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण से विकसित करना सिखाता है। फैशन प्रबंधन मूल रूप से फैशन मर्चेंटाइज़िंग, दृश्य प्रस्तुति, दुकान प्रबंधन और विपणन पर ध्यान केंद्रित करता है।

फैशन के स्नातक कॉस्ट्यूम डिजाइनर, फैशन खरीदार, फैशन सलाहकार, निजी स्टाइलिस्ट, उत्पादन प्रबंधक, उत्पाद डेवलपर्स, गुणवत्ता प्रबंधक, डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, उत्पादन पैटर्न निर्माता, फैशन समन्वयक के रूप में अग्रणी पदों पर कार्यरत हैं।

सार यह है कि फैशन आपके भीतर की सृजनात्मकता और रुचि को बाहर लाकर दूसरों से बांटने की अनोखी कला है। फैशन एक ऐसी शैली है जो आपको बिना कुछ कहे ही परिभाषित करती है। फैशन डिजाइनर के पेशे में रहकर आप लोगों में खुशी बांटने का व्यापार करते हैं, जिसमें आप भी खुश रहते हैं और ग्राहक भी।

फैशन शिक्षण के प्रमुख संस्थान

1. नैशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग
2. नैशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ फैशन टैक्नॉलॉजी
3. पर्ल ऐकेडिमी ऑफ फैशन
4. सी.एफ.डी.एम. मोदी यूनिवर्सिटी

आधुनिक युग का सच

संतोष कुमार
आशुलिपिक
मुख्यालय, क.रा.बी. निगम

आज के दौर में मियाँ–बीबी दोनों खूब कमाते हैं।
लाखों का पैकेज दोनों ही पाते हैं।।
सुबह आठ बजे नौकरी पर जाते हैं।
रात में ही घर पर वापस आते हैं।।
अपने पारिवारिक रिश्तों से कतराते हैं।
भीड़ में रहकर अकेले ही रह जाते हैं।।
मोटे वेतन की नौकरी छोड़ नहीं पाते हैं।
इसी कारण बच्चों को ठीक ढंग से पाल नहीं पाते हैं।।
फुल टाइम के लिए घर पर मेड लाते हैं।
उसी के जिम्मे बच्चों को छोड़ जाते हैं।।
दादा–दादी, नाना–नानी को बच्चा नहीं जानता है।
सिर्फ आया आंटी को ही पहचानता है।।
आया ही नहलाती है, आया ही खिलाती है।
सभी के लिए खाना भी आया ही बनाती है।।
ड्रेस पहनाकर बच्चों को स्कूल पहुँचाती है।
छुट्टी के बाद आया ही घर लाती है।।
नींद जब आती है तो आया ही सुलाती है।
जैसे भी उसको आती है, बच्चों को लोरी सुनाती है।।
जो टीचर मैम बताती है, वही बच्चा मानता है।
देसी खाना छोड़कर चाउमीन, पीज़ा–बर्गर खाता है।।
वीक–एंड पर मॉल में पिकनिक मनाता है।
संडे की छुट्टी मॉम–डैड के साथ बिताता है।।
वक्त नहीं रुकता, तेजी से गुजर जाता है।
बच्चा स्कूल से निकल कर कॉलेज में जाता है।।
वहाँ नए दोस्त बनाता है, उनके साथ रम जाता है।
और माँ–बाप के पैसों से ही अपना खर्च चलाता है।।
धीरे–धीरे वहीं की संस्कृति में वह ढल जाता है।
माँ–बाप से रिश्ता सिर्फ पैसों का रह जाता है।।
उच्चतर डिग्री लेने के बाद विदेश चला जाता है।
पैसा कमाने के बाद विवाह कर वहीं बस जाता है।।
बुढ़ापे में माँ–बाप के हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, चलने में दुख पाते हैं।
दाढ़–दाँत गिर जाते हैं, मोटे चश्मे लग जाते हैं और वृद्धाश्रम में दाखिल हो जिंदा ही मर जाते हैं।।
बेटा है जापान में, बेटी है न्यूयॉर्क।
ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क।।
बेटा डॉलर में बंधा, सात समुन्दर पार।
चिता जलाने बाप के गए पड़ोसी चार।।
बूढ़ा–बूढ़ी आँख में भरते खारा नीर।
हरिद्वार के घाट में जापानी तकदीर।।

राष्ट्रीय अखंडता, सांस्कृतिक एकता तथा आपसी सद्भावना के लिए केवल एक ही संपर्क भाषा है, वह है हिंदी।
– फादर कामिल बुल्के

विद्या–रमन

मधु कौशिक
सामाजिक सुरक्षा अधिकारी
मुख्यालय, क.रा.बी. निगम

एक खूबसूरत गाँव में प्रकृति के बीच रमन रहता था। शहर की भागदौड़ से हटकर वह वर्षों पहले शहर से यहां आकर बस गया था। जीवन के कटु अनुभवों के कारण वह प्रकृति की फैली विशाल और अद्वितीय सुंदरता को अपने कैनवस पर उतारता, हर रोज़ एक खूबसूरत पेंटिंग बनाता। कभी–कभी तो वह पेंटिंग्स में इतना खो जाता कि उसे खाने–पीने की सुध भी नहीं रहती थी। रमन एक कुशल और शांत स्वभाव का व्यक्ति था। पास के गांव से जब लोग वहां से गुजरते थे, वे भी उसकी एकाग्रता को देखकर स्तब्ध रह जाते। रमन हमेशा मुस्कुराता रहता था। सिर्फ वही जानता था, उसकी मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द छुपा था। सभी उसे बहुत चाहते भी थे। यहां तक कि विद्या, गाँव की सबसे खूबसूरत लड़की, वह भी रमन को देखती पर नासमझ और अल्हड़ होने के कारण उसे कुछ कहती नहीं थी। घर के काम–काज जानती थी, पर वह ज्यादा पढ़ी–लिखी नहीं थी।

एक दिन तेज़ बारिश में वह रमन के घर जा पहुँची। रमन उसी तरह अपनी पेंटिंग बना रहा था। वह अनायास ही रमन से पूछ बैठी – तुम इतनी चित्रकारी क्यों करते हो? क्या मिलता है तुम्हें? जब देखो पेड़–पौधों, पहाड़ों की, नदियों की तस्वीरें बनाते हो। क्या मिलता है तुम्हें? इस तरह के कितने ही प्रश्न विद्या रमन से पूछ बैठती थी। विद्या आज उस गाँव में नहीं रहती है। वह बूढ़ी हो चुकी है – उसके कानों में आज भी रमन के शब्द गूंजते हैं.....“हम सभी प्रकृति की देन हैं। प्रकृति को कैनवस पर उतारकर मुझे शांति मिलती है, प्रकृति हमें कभी धोखा नहीं देती है, वह जैसी है हमें वैसी ही रोज़ दिखती है। तुम्हारा यह पूछना कि मुझे इससे इतना लगाव और प्यार क्यों है। यह तुम तब जानोगी जब एक दिन मैं इसी प्रकृति में खो जाऊंगा।” रमन को गुजरे वर्षों बीत गए। विद्या आज भी उसकी पेंटिंग्स में अपने सवालों को ढूँढ़ती है, जब रमन था वह कह ना सकी। रमन न जाने कहाँ प्रकृति में खो चुका है और विद्या आज भी अपने सवालों पर बहुत पछताती है कि काश प्रकृति के इस इंसान को उसने पहले समझा होता...।

अमृतवाणी

शालिनी गाबा
सहायक
मुख्यालय, क.रा.बी. निगम

कहते हैं शब्दों के दाँत नहीं होते हैं
लेकिन जब काटते हैं
तो दर्द बहुत होता है और कभी–कभी
घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि
जीवन समाप्त हो जाता है
परंतु घाव नहीं भरते.....।
इसलिए जीवन में जब भी बोलो
"मीठा बोलो, मधुर बोलो"
'शब्द' 'शब्द' सब कोई कहे,
'शब्द' के हाथ न पाँव,
एक 'शब्द' 'औषधि' करे,
और एक 'शब्द' करे सौ घाव
जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा
जो नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा।
प्रभु को भी पसंद नहीं
सख्ती बयान में,
इसीलिए हड्डी नहीं दी,
किसी की 'जुबान' में।

स्वदेश प्रेम

भूपसिंह यादव
अर्थ मंत्री
केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद

जाग उठो भारत के वीरो
माता आज पुकार रही,
शंखनाद बज गया युद्ध का,
कण–कण में ललकार रही।।
भारत के मस्तक पर
रिपु ने जो घात लगाया है,
कश्मीर भूमि पर पद रखकर,
उसको आहत पहुंचाया है।।
भारत माता के दूध धार की,
लाज तुम्हें रखनी होगी
मर मिटें भले पर आज
देश की साख तुम्हें रखनी होगी।।
माम् अनुस्मर युद्ध आज से,
अखिल राष्ट्र का नारा है,
स्वर्गादपि गरिमामयी माँ का,
कण–कण हमको प्यारा है।।
भारत के वीर सपूतो तुम
वह सिंहनाद हुँकार करो
जिससे दुश्मन दल, विचलित हो
भागे भय से वह मार करो।।
यह जीवन तो क्षण भंगुर है
जीवन की मृत्यु इबारत है
जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं
वह जीते बोझ धरा पर है
सारा भारत नत मस्तक है
उन रण बाँकुरों, शहीदों पर
जो मातृभूमि के लिए मिटे,
है नाज़ हमें उन वीरों पर।।
जय हिन्द। जय भारत। जय जवान।

ज़िंदगी

दीपक कुमार
सामाजिक सुरक्षा अधिकारी
मुख्यालय, क.रा.बी. निगम

एक अजीब–सी पहेली है ज़िंदगी।
सबके साथ होते हुए भी अकेली है ज़िंदगी।।
कभी तो एक प्यारा सा अरमान है ज़िंदगी।
तो कभी दर्द से भरा तूफान है ज़िंदगी।।
कभी तो फूलों से भरा गुलिस्तां है ज़िंदगी।
तो कभी काँटों से भरा रास्ता है ज़िंदगी।।
कभी ख्वाबों जैसी मासूम हो जाती है ज़िंदगी।
तो कभी गुनाहों का सा बोझ बन जाती है ज़िंदगी।।
ज़िंदगी से चाहे जितना प्यार कर लो।
होती है आखिर बेवफा ये ज़िंदगी।।
ज़िंदगी को छोड़ एक दिन जाना पड़ेगा।
मौत को उस पल गले लगाना पड़ेगा।।
ऐ बन्दे कुछ ऐसे जीकर जा इस ज़िंदगी में।
कि बन जाए एक अहसास, एक इतिहास ये ज़िंदगी।।

जीवन उपदेश

सर्वोत्तम दिन	:	आज
सबसे उपयुक्त समय	:	अभी
सबसे बड़ी भूल	:	समय की बर्बादी
सबसे खतरनाक वस्तु	:	घृणा
सबसे बुरी भावना	:	ईर्ष्या
सबसे बड़ी बाधा	:	व्यर्थ बोलना
सबसे विश्वसनीय मित्र	:	आपका अपना हाथ

उत्तराखंड में आपदा

कोमल सिंह
सहायक
मुख्यालय, क.रा.बी. निगम

उत्तराखंड महत्त्वपूर्ण खनिज पदार्थों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों का भण्डार है, जो कि चारधाम या देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। देवभूमि के पावन धाम केदारनाथ में हुई तबाही में जल प्रलय, बड़े पैमाने पर जंगलों में आग लगना आदि हैं। उत्तराखंड में इस तबाही का कारण केवल सरकार को ठहराया जाना अनुचित होगा क्योंकि इसमें कुछ हद तक जनता का भी हाथ है। जंगलों में आग लगना, पेड़ों का काटा जाना, यह सब प्रशासन के साथ–साथ जनता की लापरवाही का भी तो परिणाम ही है। उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध गायक श्री नरेन्द्र सिंह नेगी ने अपने गीत में कहा है (ना काटा–ना काटा त्यो डाल्यूं ना काटा दिदों डाल्यूं ना काटा, मट्टी डाली कटेली तो यही बगल ना कुडी–पुगडी–बचली ना काटा ना काटा त्यो.....)।

इसके अलावा कई लोग मानते हैं कि केदारनाथ में यह महाविनाश धारी देवी के प्रकोप से हुआ। यह आपदा प्राचीन मंदिर से मूर्ति हटाए जाने के कुछ घंटों बाद हुई और सैंकड़ों लोग प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त हुए। मैं किसी भी व्यक्ति की मान्यता पर न तो प्रश्न उठाना चाहता हूं, न ही मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना है और यह भी हो सकता है कि यही मान्यता सही हो परंतु इसके और पहलुओं पर भी दृष्टि डालना आवश्यक है। केदारनाथ मंदिर में हुई त्रासदी की यदि बात करें तो उक्त प्राचीन मंदिर का निर्माण इस बात के मद्देनजर किया गया था कि किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा आने के बावजूद मंदिर तथा शिवलिंग पर आंच नहीं आए और ऐसा ही हुआ। परंतु शेष सब कुछ पानी की चपेट से नष्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहीं सुना था कि इस प्रकार की संभावना प्रत्येक वर्ष ही रहती थी कि पानी का बहाव नीचे मंदिर की ओर आ सकता है, परंतु इसके लिए उचित समय पर कोई खास प्रयास नहीं किए जा सके। इसके अतिरिक्त यदि हम अपने स्तर पर देखें तो यदि वहां अधिकाधिक मात्रा में पेड़ होते तथा मंदिर में व्यापार को बढ़ाने की बजाए उस जगह के आस–पास के क्षेत्र को खाली रखा जाता तो शायद त्रासदी कुछ कम होती परंतु ऐसा नहीं हो सका। इस आपदा में नाथों के नाथ – केदारनाथ पर्यटन व्यवसाय से जुड़े रोजी–रोटी कमाने वाले लोग बेरोजगार हो गए। इसी प्रकार जंगलों के पेड़–पौधों में आग लगने से कई महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ जलकर भस्म हो गए।

इस प्राकृतिक आपदा से सबक लिया जाना चाहिए। प्रशासन को इस पर उचित कार्य करना चाहिए ताकि जंगलों, पेड़ों की कटाई, हर वर्ष आग लगने के कारण खनिज पदार्थों तथा प्रकृति को होने वाले नुकसान को रोका जा सके। इस समस्या से निपटने के लिए केवल प्रशासन ही नहीं अपितु देश के प्रत्येक जनमानस को उत्तराखंड के साथ होना चाहिए।

योग और जीवन

प्रवीण कुमार
उपनिदेशक (सू.सं.प्रौ.प्र.)
मुख्यालय, क.रा.बी. निगम

भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन को दो प्रकार से जीया जा सकता है। एक गृहस्थ के रूप में या दूसरा संन्यासी के रूप में। संन्यासी जीवन में व्यक्ति ब्रह्म की प्राप्ति की लालसा से अपना सर्वस्व त्याग देता है। इस जीवन में व्यक्ति इंद्रीय सुख का परित्याग कर जीवन पर्यंत ईश्वर की तपस्या में विलीन रहता है और उसके जीवन का उद्देश्य मात्र इतना रह जाता है कि परमपिता परमेश्वर से साक्षात्कार कब और कैसे हो तथा उस समय परमात्मा से जनकल्याण के लिए कोई सिद्धि प्राप्त कर सके। इसके विपरीत गृहस्थ जीवन में मानव तथाकथित दोषों – काम, क्रोध, मोह और लोभ में विलीन होते हुए अपने सांसारिक जीवन का निर्वाह करता है। इस प्रक्रिया में कई बार व्यक्ति पथभ्रष्ट भी हो जाता है और अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि को बढ़ाने के लालच में दूसरे व्यक्तियों को हानि पहुँचाने लगता है।

मेरी दृष्टि में एक गृहस्थ का जीवन संन्यासी के जीवन से कहीं कठिन है। संन्यासी जीवनभर स्वयं निर्धारित मार्ग पर चलता है और उसके जीवन में विरोधाभास शून्य के बराबर होता है। ईश्वर की प्राप्ति न होने पर भी उसका अटूट विश्वास उसकी आस्था को बनाये रखता है और वह निरंतर अपनी जप, तपस्या और समाधि में लगा रहता है। इसके विपरीत एक गृहस्थ व्यक्ति निरंतर विरोधाभास में ही अपना जीवन–यापन करता रहता है। बचपन में यह विरोधाभास खेलने और पढ़ाई के बीच, गोलगप्पे, मिठाई और घीया की सब्जी खाने या न खाने के बीच होता है। युवावस्था में यह विरोधाभास मद्यपान स्वीकारने और अस्वीकारने के बीच या कॉलेज की कक्षा में उपस्थित रहने और बंक मारने के बीच होता है। विवाह के उपरांत माता–पिता, सास–ससुर, जीवनसाथी और बच्चों की परस्पर विपरीत माँगों के बीच सामंजस्य स्थापित करना व्यक्ति के लिए दुष्कर सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त पड़ोसी, मित्र, कार्यालय के बॉस और अधीनस्थ भी अपनी–अपनी मांग रखते हैं जिसकी माँग पूरी न हो, वही नाराज हो जाता है और आम व्यक्ति इन सभी की अपेक्षाओं के बीच अपने–आपको असहाय और बेचारा महसूस करता है क्योंकि जीवन में किसी भी दौर में उसे ऐसी विपरीत अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है।

21 जून, 2015 को भारत सरकार के अथक प्रयास से प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग के विषय में योग के ज्ञाता यह कहते हैं कि योग व्यायाम नहीं हैं। यह जीवन जीने की एक कला है। मैंने इसे समझने का कुछ प्रयास किया। नीचे बहुत ही सामान्य और साधारण समझे जाने वाले शवासन की विधि दी गई है :–

शवासन की विधि :–

- पीठ के बल लेट जाएं।
- दोनों हाथों को शरीर के साथ, हथेलियाँ आसमान की ओर खुली रखें। अँगुलियाँ सीधी एवं स्वाभाविक रूप से खुली हुई।

विदेशी भाषा का किसी स्वंतत्र राष्ट्र के राजकाज और शिक्षा की भाषा होना सांस्कृतिक दासता है।
– वाल्टीर चेनिंग

- दोनों पैरों के बीच लगभग डेढ़ फीट का फासला होना चाहिए। एड़ियाँ ढीली और पंजे दाएँ व बाएँ लुढ़के हुए।
- मुँह और आँखों को बंद कर लें।
- अब धीरे–धीरे अपने शरीर के सभी अंगो को शिथिल करें।
- उसके बाद धीरे–धीरे प्रयत्नरहित श्वसन करें।
- इस समयावधि में ध्यान केवल श्वसन पर होना चाहिए तथा मन में कोई और विचार नहीं आने चाहिए।
- आसन करते समय यदि आहार नींद आने लगे तो लंबी और गहरी सांस लेनी चाहिए।

किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए जिसने पहले शवासन का अभ्यास नहीं किया है यह समझना असंभव है कि जब सभी अंग शिथिल हों और मन विचारशून्य हो, उस समय इस बात का ध्यान कैसे रखा जाए कि आपके हाथ, हथेलियाँ, पंजे, एड़ी, मुँह और आँखें किस स्थिति में हैं। परंतु कोई भी व्यक्ति जिसने शवासन का अभ्यास किया है या नियमित रूप से योगाभ्यास करता है, उसके लिए यह एक सहज क्रिया है।

यहाँ पर शवासन को मात्र एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वस्तुतः सभी योगासनों में शारीरिक स्थिति के अतिरिक्त मानसिक स्थिति एवं श्वास की स्थिति का विशेष महत्व है और व्यक्ति अभ्यास के साथ शारीरिक और मानसिक स्थिति में सामंजस्य स्थापित करना सहज रूप से सीख लेता है और यही सामंजस्य स्थापित करना सुखी जीवन जीने की कला है। यह सामंजस्य चाहे शरीर के भिन्न–भिन्न भागों के बीच हो या अपने संबंधियों, पड़ोसियों, मित्रों, वरिष्ठों एवं अधीनस्थों की अपेक्षाओं के बीच।

नियमित योगाभ्यास व्यक्ति को संयम एवं सामंजस्य सिखाता है जो कि एक सुखद गृहस्थ जीवन हेतु अत्यंत आवश्यक है। इस आवश्यकता को पूरे विश्व ने पहचाना है और यही कारण है कि विश्व योग दिवस को सभी सदस्य राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त हुआ है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव, बान–की–मून ने विश्व योग दिवस 2016 पर अपने संदेश में कहा कि योग शरीर और आत्मा तथा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित करता है। यह लोगों में तथा मानव एवं प्रकृति सद्भाव को बढ़ावा देता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सार्वभौमिक अपील को स्वीकार करते हुए 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाये जाने की घोषणा की। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, जो कि पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी 193 सदस्यों द्वारा अपनाया गया था, इस वर्ष सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वस्थ जीवन के महत्व को प्रकाशित करता है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान–की–मून, बाली, इंडोनेशिया में एक स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पर गर्भवती महिलाओं की योग कक्षा का निरीक्षण करते हुए। फोटो/मार्क गार्टन।

2016 के सर्वेक्षण के अनुसार अमेरिका के 15 प्रतिशत वयस्क (3.67 करोड़) योग करते हैं। अब समय है कि हम भी योग के महत्व को पहचानें और निरंतर योग द्वारा अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बनाएं।

प्रभू इच्छा

पंकज वोहरा
उपनिदेशक (सू.सं.प्रौ.प्र.)
मुख्यालय, क.रा.बी. निगम

कबीर साहब ने दोहे में क्या खूब कहा है :–

दुःख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय।
जो सुख में सुमिरन करे, दुःख काहे को होय।।

भावार्थ :– हर इंसान को प्रभु की याद संकट के समय में ही आती है। जब संकट न हो तो इंसान खुद को ही भगवान समझने लगता है। हर सफल कार्य का श्रेय खुद को देता है। कई बार तो दूसरों के कार्य का श्रेय भी खुद लेने का प्रयास करता है। अगर इंसान पर कोई संकट आए तो उसका श्रेय प्रभु को देता है और संकट के समय ही प्रभु की याद आती है। अगर सफलता के समय भी वो प्रभु को याद रखे तो कबीर साहब का कहना है कि उसे कोई दुःख आएगा ही नहीं, अगर आएगा भी तो प्रभु उसे संभाल लेंगे, परंतु यह तो मानने पर निर्भर करता है।

कुछ लोग मानते हैं कि मनुष्य ने जन्म लिया है तो कष्ट भोगने के लिए लिया है। कर्म तो काटने ही पड़ेंगे। प्रभु मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसे सुख और दुःख देता है। यही कारण है कि किसी के हिस्से कम और किसी के हिस्से ज्यादा कष्ट आते हैं। यह भी मान्यता है कि जितने बुरे कर्म आपने किए हैं, उसके अनुसार उतना ही कष्ट भोगना पड़ेगा। कर्म इस जन्म के भी हो सकते हैं और पूर्व जन्म के भी हो सकते हैं। जब तक हिसाब बराबर नहीं होता तब तक बार–बार जन्म लेना पड़ेगा।

कई महानुभाव तो ऐसे हैं जो अच्छे कर्मों को भी बुरे कर्मों में परिवर्तित कर लेते हैं। धार्मिक स्थान पर प्रभु को याद करने और उसका धन्यवाद करने गए, वहां किसी से झगड़ पड़े और सब लोगों का ध्यान प्रभु की तरफ से हटा कर अपनी तरफ खींच लिया। झगड़े में तो अपना तर्क लोगों से मनवा लिया पर कर्म किस खाते में गया? जरा सोचिए!

कई बार जाने–अनजाने हमसे कई काम ऐसे हो जाते हैं कि बाद में हैरानी होती है कि क्या हमने ऐसा किया? उस काम के कारण बाद में पछतावा भी होता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कोई कर्म न हो जाए जिससे बाद में हमें कष्ट हो।

अब प्रश्न यह उठता है कि कष्ट क्या है। इसकी क्या परिभाषा है? मेरी सोच के अनुसार जो कार्य या स्थिति व्यक्ति की सोच या मन के अनुसार नहीं हो, वह उसके लिए कष्ट है। जैसे बच्चों को पढ़ने में कष्ट महसूस होता है, कुछ लोगों को कड़वी दवाई खाने में कष्ट होता है। परंतु आज के मनुष्य के दैनिक जीवन में पढ़ाई और दवाई दोनों जरूरी हैं तो कष्ट क्यों? जरा सोचिए!

एक और उदाहरण लीजिए – आप अकेले रास्ते पर कहीं जा रहे हैं। आपने एक भिखारी को देखा और मन में आया कि उसकी सहायता की जाए। अच्छी सोच है। हर धर्म में यही कहा गया है कि जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में भी मानवता का यही धर्म है। आपने भिखारी को पैसे दे दिए, परंतु अगर वह जरूरतमंद न हुआ तो वह पहले उस पैसे का मोल देखेगा और यह भी हो सकता है कि वह वो पैसे वापस आपकी ओर फेंक दे या यह भी हो सकता है कि इस उदारता के लिए आपको दिल से दुआ भी दे। पहली स्थिति में आपको गुस्सा आएगा जबकि दूसरी स्थिति में इसके विपरीत। दूसरी स्थिति में वही कर्म करने पर आपको शांति और खुशी की अनुभूति होगी। क्यों? कर्म तो दोनों ही स्थिति में आपने एक ही किया है। जरा सोचिए!

संविधान में हिंदी को राष्ट्र भाषा स्वीकार कर लिए जाने के बाद किसी को उसके विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार नहीं है।
– कृष्ण मेनन

फर्क सिर्फ इतना है कि दूसरी स्थिति में आपने जब कर्म किया जो उस व्यक्ति को उसकी जरूरत थी, जबकि पहली स्थिति में पैसे मांगना उसका पेशा है। यही फर्क है।

इस जीवन में ऐसे कई मोड़ आते हैं, जहाँ दो रास्तों में से एक चुनना पड़ता है। उस स्थिति में मनुष्य अपने विवेक से काम ले और अपने हर कर्म में प्रभु को याद रखे। ऐसा करने से आपका जीवन सुखमय और आनंदित हो जाएगा और यही प्रभु की इच्छा है।

जीवन की सार्थकता

मधु कौशिक
सामाजिक सुरक्षा अधिकारी
मुख्यालय, क.रा.बी. निगम

जाना तो सभी को है
क्यूं ना कुछ देर रूक कर जाएं।
क्यूं ना किसी नासमझ को
चंद प्रेम के शब्द सिखाएं।
कांपती उंगलियों को छूकर
कुछ पौधों में फूल खिलाएं।
या किसी बच्चे को प्यार से
उसका नाम लिखना सिखाएं।
जाना तो सभी को है
क्यूं ना कुछ देर रूक कर जाएं।
कहीं संवारें कुछ भविष्य
कहीं वर्तमान को सुधारें।
किसी के होठों पर दें मुस्कुराहट
और कुछ अपने से मित्र बनाएं।
जाना तो सभी को है
क्यूं ना कुछ देर रूक कर जाएं।

हिंदी

शालिनी गाबा
सहायक
मुख्यालय, क.रा.बी. निगम

हिंदी है विश्वास हमारा,
हिंदी है सम्मान हमारा।
हिंदी से हमने जग जाना,
हिंदी से खुद को पहचाना।
हिंदी ने जन–जन को जोड़ा,
हिंदी ने हर बंधन तोड़ा।
हिंदी है अभिमान हमारा,
हिंदी है अरमान हमारा।
हिंदी है आस हमारी,
हिंदी है पहचान हमारी।

मेरे साहब

सुभाष कुमार
बहुकार्य स्टाफ
मुख्यालय, क.रा.बी. निगम

भारी भरकम व्यक्तित्व के धनी हैं, मेरे साहब।
बुराइयों की उन्हें चिंता नहीं है, झोला भर मदद करते हैं, मेरे साहब।
शिकन तक नहीं है, उनके चेहरे पर, खुश मिजाज दिखते हैं, मेरे साहब।
तारीफ कितनी भी करूं मैं, कम पड़ जाती है, इतने ऊँचे हैं, मेरे साहब।
गुस्सा आ जाए किसी को, या रूठने की हो बात,
बड़ी विनम्रता से देते हैं जवाब, मेरे साहब।
अधिकारियों से कर्मचारियों तक के रहते हैं मन में,
नहीं लगानी पड़ती है आवाज,
ऐसे हैं मेरे साहब।

घरेलू हिंसा

पल्लवी
बिज़नेस एनालिस्ट
क.रा.बी. निगम (पी.एम.यू.)
एन.आइ.एस.जी.

घरेलू हिंसा – जिसके बहुत से पहलू हैं और अनेक परिस्थितियाँ भी। यह बच्चों और माता–पिता के बीच हो सकती है, रिश्तेदारों के बीच या वैवाहिक जीवन में। जब इस शब्द का प्रयोग वैवाहिक अर्थात् पति–पत्नी के सम्बन्धों के बीच में चल रहे विवादों के सन्दर्भ में किया जाता है, तब यह शब्द आते ही मानव मस्तिष्क में अबला, दुर्बल, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से जूझती हुई किसी नारी की छवि उभर आती है और सहसा ही उसके प्रति सभी की सहानुभूति एवं संवेदना उमड़ आती है। किन्तु आज ही के परिवेश में एक बार दोबारा इन्हीं शब्दों को पढ़ें और प्रयास करें कि आप लिंग भेद ना करते हुए इस समस्या को इसके वास्तविक स्वरूप में देख पाएं।

पुरुषों के खिलाफ हो रही घरेलू हिंसा!!! भारतीय समाज आज भी पुरुष प्रधान ही है, और समस्या क्योंकि मूल रूप से महिलाएं ही झेल रहीं थीं (या हैं) हम इस बीच, इस समस्या से निपटने वाले कानून में व्यक्ति (स्त्री या पुरुष) को संरक्षण या उचित न्याय देने की बजाय एक लिंग की ओर अधिक झुकाव (या समस्याओं की अधिक व्यापकता) होने के कारण दूसरे लिंग के मूल अधिकारों को अनदेखा तो नहीं कर बैठे।

पुरुष की जिस प्रकार की छवि, समाज में है, इससे यह बात हजम कर पाना तथा इसकी गंभीरता को समझ पाना बहुत ही कठिन है। अगर विवाह जैसे रिश्ते में पति के साथ मौखिक या शारीरिक हिंसा हो रही हो तो, वह क्या मात्र परिहास का विषय है? कायरता या कमजोरी को दर्शाता है? आपका दृष्टिकोण क्या है? क्या क्रूरतापूर्ण उत्तर और अपने मौलिक व्यक्तित्व को किसी दुर्व्यवहारपूर्ण साथी के लिए नष्ट कर "जैसे को तैसा" के मार्ग पर चलना ही एकमात्र उपचार है? भले ही इस कारण एक सौम्य व्यक्ति शर्म और कुंठा भरा जीवन जीये या ना समझे जाने के डर से ग्रसित अपमान और शोषण भरा जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाए।

बहुत से लोगों की पहली प्रतिक्रिया हो सकती है कि रिश्ते का अंत कर दिया जाए, पर क्या आप सच में ऐसा करने के मूल्य तथा संभावना से पूरी तरह परिचित हैं। क्या यह उतना ही सरल है, जितने सहज भाव से सलाह–स्वरूप कहा गया।

अच्छा .....रिश्ते की समाप्ति छोड़िये, क्या पुरुष द्वारा की गई कोई प्रतिक्रिया, कैसे कानूनी दावपेंचों में उसी के अहित में जा सकती है, इसका अनुमान है आपको? क्या आप नए बनाए गए कानूनों से अवगत हैं। एक कॉल भर के फासले पर आपकी गरिमा की धज्जियाँ उड़ सकती हैं (और यह बात निरंतर आपको धमकी के तौर पर बताई जा सकती है)।

आप में से बहुत से लोग विवाहित होंगे और बहुत से जीवनसाथी की खोज में, पर कितने लोग असल में 'हिन्दू विवाह अधिनियम' से परिचित हैं और अनचाही स्थिति आने पर कैसे अपना बचाव करें, इसके बारे में क्या आपने कभी सोचा–समझा है। हो सकता है कि बहुत से जन यूँ कहें कि किसी भी रिश्ते की बुनियाद सकारात्मक सोच और निभाने की मंशा से की जाती है तो अन्यथा मन में अप्रिय विचार क्यूँ लाया जाए। बिलकुल सही बात, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ (यहाँ तक कि तलाक के लिए तो शुद्ध हिंदी में शब्द ही नहीं है) पर विपरीत परिस्थितियाँ या ठगे जाने पर ही क्या आँखें खोली जाएं, ऐसा जरूरी है?

छल केवल आपके भावों, मानसिक स्थिरता, सपनों, धन या परिवार के साथ ही नहीं बल्कि यूँ कहें, पूरे जीवन का हनन कर देता है।

क्या कानून संरक्षण प्रदान करते–करते, उसमें निहित खामियों से निपटने का मार्ग दिखाता है? क्या विवाह करना दो लोगों के लिए जितना आसान है, उतना ही विचार ना मिलने पर

है भव्य हमारी मातृभाषा हरी–भरी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी।
– मैथिली शरण गुप्त

तलाक पाना भी, वो भी दोनों की ही ओर से? इस पर विचार करें।

एक अनचाहे रिश्ते में, प्रताड़ना भरा जीवन, किसी डर, धन और मान–सम्मान की हानि के परिणामों को सोच, उसमें बने रहना, किसी तरह की कैद है।

व्यक्ति को लिंग के आधार पर अपनी सत्यता और आचरण पर क्यों आँका जाना चाहिए।

यह लेख मैंने किसी सनसनी भरे मुद्दे को छेड़ने के लिए नहीं बल्कि सभी की राय जानने और ऐसी विषम परिस्थितियों में, क्या सही कदम उठाये जा सकते हैं क्या किसी तरह की कानूनी मदद संभव है और क्या पुरुष उनसे अवगत हैं, इस पर विचार करने हेतु लिखा है।

ग़ज़ल

रामअवतार बैरवा
कार्यक्रम अधिकारी
आकाशवाणी, दिल्ली

बादल जितनी साज़िश कर ले सात समंदर पार से
ये रंग बासंती नहीं मिटेगा धरती के रुखसार से
चाहे आ घाटी के रस्ते या सहरा–ओ–सागर से
सरहद पर मुस्तैद खड़े हैं भूखे शेर कतार से
जब तक हिमगिर है धरती पर, तब तक सूरज चाँद हैं
चूंकि ये सब चमक रहे हैं हिमगिर की उजियार से
तेरे चमन में भी महकेंगे खुशहाली के फूल सदा
आकर ले जा बीज अमन के मेरे इस गुलज़ार से
राजपथ की माटी से ओ हवा में उड़ते गुब्बारों
पैगाम हमारा मुहब्बत है ये कह देना संसार से

राग सेवा का सजा लेना

भूपसिंह यादव
अर्थ मंत्री
केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद

समय की मांग है अपनों को सीने से लगा लेना।
अधर पर राग सेवा का सजा लेना, सजा लेना।।
ये काले सर्प पैरों में लिपटते हैं, लिपटने दो।
ये काले दृश्य आंखों में सिमटते हैं, सिमटने दो।।
भंवर में है भले कश्ती, छिड़ी है जंग रातों से।
कन्हैया नाग नाथेगा, मिलेगी मुक्ति घातों से।।
सुबह आने को है, देहरी पर स्वागत के गीत गाने हैं।
अधर पर राग सेवा का सजा लेना, सजा लेना।।
ये मुश्किल चार दिन की है, विजय के गीत गाने हैं।
अभी तो अपनी उंगली पर हमें पर्वत उठाने हैं।।
मशालों की तरह जलना, सभी को रास्ता देना।
जो अपनों से नज़र फेरे, लहू का वास्ता देना।।
परिस्थितियों के मारे जो गिरे उन्हें उठा लेना।
अधर पर राग सेवा का सजा लेना, सजा लेना।।

सूफी संत 'बुल्ले शाह'

आलोक कुमार
क.हि. अनुवादक
उप क्षेत्रीय कार्यालय, रोहिणी

आज पूरी दुनिया हिंसा और आतंक के दौर से गुजर रही है। अंध–राष्ट्रवाद, साम्प्रदायिकता और मज़हबी कट्टरता ने मानवता को तार–तार कर दिया है। ऐसे समय में सूफी संतों को याद करना तेज धूप में शीतल छाँव की तरह है। सूफीमत ने अरब और इरान से चलकर पूरी दुनिया में प्रेम और करुणा की गंगा बहायी है। भारत का भक्ति आंदोलन इसी का विस्तार है। भारत में अमीर खुसरो, जायसी आदि सूफी एवं भक्त कवियों ने समाज की विभाजनकारी अवधारणाओं को नकार कर, अपने पद्य के माध्यम से "वसुधैव कुटुंबकम्" का संदेश जन–जन तक पहुँचाया।

बुल्ले शाह ऐसे ही संत–कवि थे जिन्होंने पूरी दुनिया को पंजाब की धरती से प्रेम और करुणा का संदेश दिया। उनके पिता शाह मुहम्मद थे, जिन्हें अरबी, फारसी और कुरान शरीफ का अच्छा ज्ञान था। पिता के नेक जीवन का प्रभाव बुल्ले शाह पर भी पड़ा। उनकी उच्च शिक्षा कसूर(पाकिस्तान) में ही हुई। उनके उस्ताद हजरत गुलाम मुर्तजा सरीखे ख्यातनामा थे। पंजाबी कवि वारिस शाह ने भी गुलाम मुर्तजा से ही शिक्षा ली थी। अरबी, फारसी के विद्वान होने के साथ–साथ उन्होंने इस्लामी और सूफी धर्मग्रंथों का भी गहरा अध्ययन किया। परमात्मा की दर्शन की तड़प उन्हें फकीर हजरत शाह इनायत कादरी के द्वार पर खींच लाई। हजरत इनायत शाह का डेरा लाहौर में था। वे जाति से अराईं थे। अराईं लोग खेती–बाड़ी, बागवानी और शाक–सब्जी की खेती किया करते थे। बुल्ले शाह के परिवार वाले इस बात से दुखी थे कि बुल्ले शाह ने निम्न जाति के इनायत शाह कादरी को अपना गुरु बनाया है। उन्होंने समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परन्तु बुल्ले शाह अपने निर्णय से टस–से–मस न हुए। परिवारजनों के साथ हुई तकरार का जिक्र उन्होंने इन शब्दों में किया:–

बुल्ले नूं समझावण आइयां
भैणा ते भरजाइयां
मन्न लै बुल्लिया साडा कहणा
छड दे पल्ला, राइयां।
आल नबी औलाद अली नूं
तूं क्यों लीकां लाइयां ?

(तुम नबी के खानदान से हो और अली के वंशज हो। फिर क्यों अराईं की खातिर लोकनिंदा का कारण बनते हो।)

परन्तु बुल्ले शाह जाति भेद–भाव को भूल चुके थे। उन्होंने उत्तर दिया:–

जेहड़ा सानूं सैयद आखे
दोजख मिलण सजाइयां।
जो कोई सानूं, राईं आखे
भिस्ती पींघां पाइयां।

(जो हमें सैयद कहेगा उसे नर्क की सजा मिलेगी और जो हमें अराईं कहेगा वह स्वर्ग में झूला झूलेगा।)

बुल्ले शाह के जीवन को देखने के लिए उनकी रचनाओं को पढ़ना बहुत जरूरी है। बुल्ले शाह में ईश्वर और अपने मुर्शिद के प्रति वही दीवानगी दिखती है, जो मीरा में कृष्ण के प्रति थी। इसके लिए मीरा की तरह ही उन्होंने लोकलाज की परवाह नहीं की। बुल्ले शाह ने बहुत बहादुरी के साथ अपने समय के हाकिमों के जुल्मों और धार्मिक कट्टरता के विरुद्ध आवाज उठाई।

इन्होंने अपने मुर्शिद को सजण, यार, साईं, आरिफ, रांझा, शौह आदि नामों से पुकारा है। बुल्ले शाह जी की कविता में काफियां, दोहड़े, बारांमाह, अठवारा, गंढां और हरफियां शामिल हैं। जैसे सभी धार्मिक लोगों के साथ दंत–कथाएँ जुड़ जाती हैं, वैसे ही बुल्ले शाह के साथ भी कई ऐसी कथाएं जुड़ी हुई हैं। इन कथाओं का वैज्ञानिक आधार चाहे कुछ भी न हो परन्तु जन–मानस में उनका विशेष स्थान अवश्य रहता है।

एक दिन हिंदी एशिया नहीं विश्व की पंचायत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।
– गणेश शंकर विद्यार्थी

कहते हैं बुल्ले शाह के परिवार में शादी थी, बुल्ले ने मुर्शिद को आने का न्यौता दिया। फकीर तबियत इनायत शाह खुद तो नहीं गए लेकिन अपने एक मुरीद को भेज दिया। अराईं मुरीद फटे–पुराने कपड़ों में शादी में पहुंचा। खुद को उच्च जाति का समझने वाला सैय्यद परिवार तो पहले ही नाखुश था, कहां मुर्शिद के मुरीद का स्वागत करता। बुल्ला भी जश्न में ऐसा खोया कि मुर्शिद के बंदे को भूल बैठा। जब वह मुरीद लौट कर शाह इनायत के पास पहुंचा और किस्सा सुनाया, तो वे बुल्ले के रवैये से नाराज हुए। बुल्ले से ये उम्मीद न थी। जब बुल्ला मिलने आया तो उसकी तरफ पीठ कर शाह इनायत ने ऐलान कर दिया – बुल्ले का चेहरा नहीं देखूंगा। बुल्ले को गलती का अहसास हुआ, उसका इम्तिहान शुरू हो चुका था। मुर्शिद नाराज थे। मुर्शिद तो मुर्शिद है, जिसे चाहे आलिम (अक्लमंद) कर दे, जिसे चाहे अक्ल से खाली कर दे।

बुल्ले शाह ने अपनी पीड़ा इन शब्दों में बयाँ की है :–

आ मिल यार सार लै मेरी, मेरी जान दुक्खां ने घेरी।
अन्दर खाब विछोड़ा होया, खबर ना पैंदी तेरी।

शाह इनायत को संगीत पसंद था, बुल्ले शाह संगीत में डूब कर खुद को भूल गए। एक पीर के उर्स पर जहां सारे फकीर इकट्ठे होते, वे भी पहुंच गए। मुर्शिद से जुदाई की तड़प में बुल्ले ने दिल से खून के कतरे–कतरे को निचोड़ देने वाली काफियाँ लिखी थीं। जब सब नाचने–गाने वाले थक कर बैठ गए, बुल्ले शाह मुर्शिद के रंग में रंगे घंटों नाचते रहे । उनकी दर्द भरी आवाज और समर्पण से भरे बोल मुर्शिद का दिल पिघला गए। जाकर पूछा – तू बुल्ला है? वे पैरों पर गिर पड़े – "बुल्ला नहीं मुर्शिद मैं भुल्ला (भूला) हां।" मुर्शिद ने सीने से लगाकर बुल्ले शाह को जग के बंधनों से मुक्त कर अल्लाह से मिला दिया।

ईश्वर से साक्षात्कार के बाद बुल्ले शाह लिखते हैं :–

आयो सइयो रल दियो नी वधाई ।
मैं वर पाइआ रांझा माही ...
बुल्ले शाह इक सौदा कीता, पीता जहर प्याला पीता,
ना कुझ लाहा टोटा लीता, दर्द दुक्खां दी गठड़ी चाई,
आयो सइयो रल दियो नी वधाई ।
मैं वर पाइआ रांझा माही ।

कबीर की तरह बुल्ले शाह ने भी धार्मिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का करारा विरोध किया। निम्नलिखित दोहे इसके प्रमाण हैं :–

(1)

पंजे वकत नमाजां पढ़ियां, ते तैनूं लोकी आखन नमाजी ।
जंग कर के मुड़ जित्त घर आइउं, तैनूं लोकी आखन गाजी ।
चढ़ इनसाफ दी कुरसी बैठों, तैनूं लोकी आखन काजी ।
बुल्ले शाह तूं कुझ वी नहीं खट्ट्या, जे तूं यार ना कीता राजी ।

(2)

रब्ब रब्ब करदे बुड्ढे हो गए मुल्लां पंडित सारे।
रब्ब दा खोज खुरा ना लभ्भा अते सज्जदे कर कर हारे।
रब्ब ते तेरे अन्दर वस्सदा इहदे विच कुरान इशारे।
बुल्ले शाह रब्ब उहनूं मिलदा जेहड़ा यार तों तन मन वारे।

बुल्ले शाह ने मनुष्य और मनुष्य के बीच हरेक भेदभाव का विरोध किया। यही कारण है कि वे मुसलमानों के अतिरिक्त सिक्खों और हिंदुओं में उतने ही लोकप्रिय हुए। उन्हें धार्मिक कट्टरपंथियों का विरोध झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। उस समय औरंगजेब का शासन था। सिक्खों का दिल्ली सल्तनत से संघर्ष चल रहा था। बुल्ले शाह ने बेगुनाहों के कत्ल और खून–खराबे का विरोध किया तथा धार्मिक समरसता का पाठ पढ़ाया। आज उनके संदेश को जन–जन तक पहुँचाने की आवश्यकता है।

निगम मुख्यालय में वर्ष 2015-16 की हिंदी प्रगति रिपोर्ट

निगम मुख्यालय में वर्ष 2015–16 के दौरान संघ की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन वित्त आयुक्त की देख–रेख में किया गया। भारत सरकार के राजभाषा विभाग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा संसदीय राजभाषा समिति से प्राप्त दिशा–निदेशों के आधार पर निगम कार्यालय में राजभाषा संबंधी अनुदेश जारी किए जाते हैं। मुख्यालय की राजभाषा शाखा की प्रतिबद्धता एवं सभी कार्मिकों के सहयोग से कार्यालय के कामकाज में हिंदी में उत्तरोत्तर प्रगति हई। तत्संबंधी वार्षिक हिंदी प्रगति रिपोर्ट निम्नप्रकार प्रस्तुत है :–

1. आलोच्य वर्ष में निगम मुख्यालय ने 'क' क्षेत्र के कार्यालयों के साथ 74%; 'ख' क्षेत्र के साथ 68% तथा 'ग' क्षेत्र के साथ 56% पत्राचार हिंदी में किया। फाइलों पर 60% टिप्पणियां हिंदी में लिखी गईं।

2. हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कार्मिकों द्वारा अपना संपूर्ण कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने हेतु राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत निगम कार्यालयों तथा अस्पतालों की कुल 13 शाखाओं को विनिर्दिष्ट किया गया।

3. कार्मिकों को हिंदी में काम करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए 4 हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इनमें 22 अधिकारियों तथा 58 कर्मचारियों को हिंदी टिप्पण– आलेखन का प्रशिक्षण दिया गया।

4. मुख्यालय में हिंदी कार्य की प्रगति की समीक्षा के लिए विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चारों तिमाही बैठकें आयोजित की गईं।

5. कार्यालय के कार्मिकों में हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न करने की दृष्टि से पुस्तकालय में हिंदी पुस्तकें खरीदी गईं।

6. भारत सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत एकमात्र शेष आशुलिपिक को हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण दिलवाया गया।

7. निगम इकाइयों में राजभाषा नीति के अनुपालन की स्थिति का जायज़ा लेने के लिए 20 अधीनस्थ इकाइयों एवं मुख्यालय की 10 शाखाओं का निरीक्षण किया गया।

8. निगम इकाइयों से प्राप्त मासिक रिपोर्टों/तिमाही प्रगति रिपोर्टों/वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्टों और विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के कार्यवृत्त आदि की समीक्षा की गई और अनुपालन पर नजर रखी गई।

9. निगम इकाइयों में राजभाषा हिंदी के प्रसार और विकास को गति देने तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों में इसके प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक कार्यक्रम (वर्ष 2015–16) जारी किया गया।

10. राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों और कर्मचारियों को टिप्पण–प्रारूपण तथा अन्य शासकीय कार्य हिंदी में करने के लिए व्यक्तिशः आदेश जारी किए गए।

11. मुख्यालय की हिंदी तिमाही, छमाही और वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट भारत सरकार के राजभाषा विभाग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्यालय में भेजी गई।

12. राजभाषा कार्यान्वयन के लिए स्थापित जांच बिंदुओं की सूची अनुपालनार्थ जारी की गई।

राष्ट्रभाषा किसी व्यक्ति या प्रांत की संपत्ति नहीं है, इस पर सारे देश का अधिकार है।

– सरदार पटेल

13. गोवा में 20–21 अगस्त, 2015 को वित्त आयुक्त की अध्यक्षता में 26वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें निगम के राजभाषा अधिकारियों और प्रभारी राजभाषा अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर विचार–विमर्श, राजभाषा प्रगति संबंधित पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन, प्रभारी राजभाषा अधिकारियों को प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम रखे गए थे।

इस अवसर पर वर्ष 2014–15 के दौरान राजभाषा नीति के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए 'क' क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली; 'ख' क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ और 'ग' क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा के प्रतिनिधियों को शील्ड प्रदान की गई।

वर्ष 2014–15 के दौरान क्षेत्रवार सर्वश्रेष्ठ हिंदी गृह पत्रिका के प्रकाशन के लिए 'क' क्षेत्र में उप क्षेत्रीय कार्यालय, रोहिणी; 'ख' क्षेत्र में उप क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर और 'ग' क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यालय, तृश्शूर के प्रतिनिधियों को प्रमाण–पत्र प्रदान किए गए।

14. मूल हिंदी टिप्पण–आलेखन पुरस्कार योजना के अंतर्गत 5 कार्मिकों को एवं हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 48 कार्मिकों को पुरस्कृत किया गया।

15. मुख्यालय में 1 से 15 सितंबर, 2015 तक राजभाषा पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत 4 हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त हिंदी दिवस समारोह का आयोजन भी किया गया।

16. निगम के 4 शाखा कार्यालयों को राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत भारत के राजपत्र में अधिसूचित करवाने के लिए प्रस्ताव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भेजा गया।

17. संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति के दिनांक 23.05.2015 को क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी के निरीक्षण को संपन्न कराया गया।

18. भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित पांच दिवसीय गहन हिंदी कार्यशाला में मुख्यालय के 14 कार्मिकों ने भाग लिया तथा 1 कर्मचारी को पांच दिवसीय हिंदी कंप्यूटर प्रशिक्षण दिलाया गया।

19. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं में मुख्यालय के कर्मचारियों ने भाग लिया और पुरस्कार भी अर्जित किए।

20. हिंदी गृह पत्रिका 'पंचदीप भारती' का नौवां एवं दसवां अंक प्रकाशित किया गया।

21. निगम इकाइयों से प्रकाशित होने वाली विभिन्न हिंदी गृह पत्रिकाओं के लिए मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के संदेश तैयार किए गए।

22. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के दस्तावेजों के साथ ही तत्काल उनका अनुवाद जारी करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी शाखाओं को दस्तावेज का अनुवाद तुरंत उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त मुख्यालय से प्रकाशित होने वाली वार्षिक रिपोर्ट, मानक टिप्पणी, भर्ती विनियम, सांख्यिकीय रिपोर्ट, बजट, परिणामी बजट, वार्षिक लेखे इत्यादि तथा संसद सत्र के दौरान पूरक संसदीय प्रश्नों का हिंदी अनुवाद भी किया गया।

आपका पत्र मिला

आपके द्वारा संपादित एवं प्रेषित गृह पत्रिका 'पंचदीप भारती' वर्ष 16, अंक 11 प्राप्त हुई।

पत्रिका में प्रकाशित 'राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3', 'विश्व हिंदी दिवस की महत्ता' जहाँ राजभाषा और हिंदी की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण लेख हैं, वहीं 'किन्नर का विवाह' लेख सामाजिक दृष्टि से ज्ञानवर्द्धक है। अन्य लेख भी अपना–अपना महत्त्व रखते हैं।

पत्रिका साज–सज्जा की दृष्टि से भी सुदर्शन है।

विभूति मिश्र
प्रधानमंत्री
हिंदी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद

आपकी गृह–पत्रिका 'पंचदीप भारती' के ग्यारहवें अंक की प्रति हमें प्राप्त हुई है। हिंदी पत्रिका का प्रकाशन वास्तव में राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार की दृष्टि से अत्यंत सराहनीय प्रयास है। इसके लिए आपको व आपकी पूरी टीम को हमारी ओर से बहुत–बहुत बधाई।

पत्रिका में प्रकाशित सामग्री जीवन के विभिन्न पहलुओं को समेटे हुए है। जहाँ लेखों के माध्यम से वैचारिक सूझ–बूझ का परिचय मिलता है, वहीं कविताओं में सहज भाव–प्रवाह परिलक्षित होता है। इसके अलावा कुछ जीवनोपयोगी जानकारी को भी इसमें शामिल किया गया है, जिसका अपना विशेष महत्त्व है।

पत्रिका के प्रकाशन के लिए एक बार पुनः हार्दिक बधाई एवं आगामी अंक के लिए बहुत–बहुत शुभकामनाएं।

डॉ. जगदीश प्रसाद
मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)
दि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिल्ली

आपके निगम द्वारा प्रकाशित गृह पत्रिका 'पंचदीप भारती' का 11वां अंक प्राप्त हुआ। पत्रिका की साज–सज्जा अति उत्तम लगी। पत्रिका में सम्मिलित सभी लेख एवं कविताएं अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक हैं।

पत्रिका के संपादन मंडल एवं सभी रचनाकारों को बधाई देने के साथ पत्रिका के निरंतर प्रगति की कामना करती हूँ।

प्रोमिला ठाकुर
मुख्य प्रबंधक (परियोजना एवं राजभाषा)
नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन, दिल्ली

किसी देश को एकता के सूत्र में बांधने का सबसे स्थायी सुदृढ़ साधन उसकी भाषा है।
– राहुल सांकृत्यायन

आपके संस्थान से प्रकाशित गृह पत्रिका 'पंचदीप भारती' के अंक–11 की प्रति प्राप्त हुई। इस पत्रिका का कलेवर आकर्षक तथा इसमें उपलब्ध कराई गई सामग्री जानकारीपूर्ण एवं रोचक है। इसके लिए सभी लेखकों एवं इसके प्रकाशन से जुड़े सहयोगियों को बधाई। पत्रिका की भाषा सहज एवं सरल है, जो कि आम पाठकों के लिए बोधगम्य होगी। आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप इसी तरह इस पत्रिका के माध्यम से उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक सूचना प्रदान करते हुए राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे।

आर चन्द्रशेखर
वरिष्ठ हिंदी अधिकारी
कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केन्द्र, हैदराबाद

मुख्यालय की गृह पत्रिका 'पंचदीप भारती' का 11वां अंक प्राप्त हुआ। हार्दिक धन्यवाद एवं आभार।

पत्रिका का यह अंक भी अपने पिछले अंकों की तरह गुणवत्तायुक्त है। कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की हिंदी के प्रति रुचि एवं प्रतिबद्धता पत्रिका में परिलक्षित होती है। पत्रिका में निहित रचनाएं, लेख, कविताएं अत्यंत रोचक, उपयोगी और उत्कृष्ट हैं। चुनौतियों के लिए क.रा.बी. निगम की प्रतिबद्धता, विश्व हिंदी दिवस की महत्ता, जीवन, कद और हद, प्राचीन भारतीय विज्ञान और प्रख्यात वैज्ञानिक, रंगीला रे, पकड़ प्रीत की डोर, हिंदी बिना जीना नहीं आदि रचनाएं विशेष रूप से पठनीय हैं। पत्रिका में विभिन्न कार्यक्रमों की झलक कार्मिकों की क्रियाशीलता का परिचायक है।

पत्रिका के प्रकाशन से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हार्दिक बधाई तथा आगामी अंक के लिए शुभकामनाएं।

एस. विश्वास
क्षेत्रीय निदेशक
क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम, फरीदाबाद

आपके कार्यालय से प्रकाशित हिंदी गृह पत्रिका 'पंचदीप भारती' के ग्यारहवें अंक की प्रति सप्रेम प्राप्त हुई, धन्यवाद।

पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएं, रोचक ज्ञानवर्द्धक एवं स्तरीय हैं। पत्रिका में विश्व हिंदी दिवस की महता, किन्नर का विवाह, आँख से छलका आंसू, सुविधाओं का जंजाल, विविधता का फायदा आदि बहुत प्रशंसनीय रचनाएं हैं। पत्रिका में निगम की विभिन्न इकाइयों में कार्यक्रमों की झलक एक बगीचे में महकते हुए फूलों के समान है।

पत्रिका के उत्कृष्ट एवं सफल प्रकाशन के लिए सभी सहयोगियों को हार्दिक बधाई।

रेवती रमेश
सहायक निदेशक (राजभाषा)
क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम, चेन्नै

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की हिंदी गृह पत्रिका 'पंचदीप भारती' के 11वें अंक की प्रति प्राप्त हुई, हार्दिक धन्यवाद।

पत्रिका की साज–सज्जा तथा पृष्ठ संयोजन उच्च कोटि का है। वास्तव में यह पत्रिका विभिन्न विचारधाराओं के कवियों, विद्वानों, लेखकों के विचार पुष्पों का बहुत सुंदर गुलदस्ता है, जिसमें राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार में दिन–दूनी रात–चौगुनी खुशबू फैलाने के अभूतपूर्व कौशल का संपादक जी ने अपने कलम की करिश्माई कला का सजीव संयोजन किया है। पत्रिका के उत्कृष्ट संपादन हेतु संपादक मंडल को कोटि–कोटि साधुवाद।

भूप सिंह यादव
सदस्य, हिंदी सलाहकार समिति

मुख्यालय से प्रकाशित गृह पत्रिका 'पंचदीप भारती' का 11वां अंक प्राप्त हुआ। इस अंक के प्रकाशन एवं प्रेषण के लिए आपको हार्दिक साधुवाद एवं आभार।

पत्रिका का यह अंक भी पूर्व के अंकों की भांति गुणवत्ता से परिपूर्ण है। पत्रिका का आवरण पृष्ठ काफी सुंदर है। पत्रिका में शामिल सभी रचनाएं काफी ज्ञानवर्धक, उपयोगी एवं उत्कृष्ट हैं। राजभाषा हिंदी को समर्पित आपके लेख – 'राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3', 'विश्व हिंदी दिवस की महत्ता' तथा कविताएं – 'हिंदी को बढ़ते देखा', 'हिंदी बिना जीना नहीं' वंदनीय हैं। 'आँख से छलका आंसू', 'जीवन', 'कद और हद', 'रंगीला रे तेरे रंग में.....यूं रंगा है', 'मनोवैज्ञानिक स्ट्रेस' आदि रचनाएं जीवंत दर्शन कराती हैं। पत्रिका में विभिन्न कार्यक्रमों की झलकियाँ कार्मिकों की सांस्कृतिक एवं रचनात्मक शैली की परिचायक हैं।

पत्रिका के प्रकाशन से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हार्दिक बधाई तथा आगामी अंकों के लिए शुभकामनाएं।

एस.के. पाण्डेय
सहायक निदेशक(राजभाषा)
क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम, जयपुर

मुख्यालय द्वारा प्रकाशित गृह पत्रिका 'पंचदीप भारती' के 11वें अंक की प्रति प्राप्त हुई, धन्यवाद। पुराने अंकों की तरह इस अंक के मुखपृष्ठ में भी प्रकृति से समीपता का संदेश छिपा है। पत्रिका की साज–सज्जा तथा पृष्ठ संयोजन हमेशा की तरह उच्चकोटि का है।

इसमें विविध रचनाओं को शामिल किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम तथा 'राजभाषा अधिनियम की धारा 3' एवं 'विश्व हिंदी दिवस की महत्ता' लेख सूचनापरक तथा ज्ञानवर्धक हैं। पत्रिका की सभी कविताएं तथा अन्य रचनाएं उत्कृष्ट हैं। श्री अमित कुमार सिंह जी को पूरे हिंदी परिवार की ओर से उनके अनुपम कार्य के लिए शत–शत नमन। श्री मृदुल कच्छावा जी को उनकी विशेष उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आशा है कि आगे भी यह पत्रिका हमें नई जानकारियों से अवगत कराती रहेगी। पत्रिका के उत्कृष्ट संपादन हेतु संपादक मंडल को साधुवाद।

प्रमोद कुमार निराला
सहायक निदेशक (राजभाषा)
क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम, पटना

मुख्यालय से प्रकाशित गृह पत्रिका 'पंचदीप भारती' का 11वां अंक प्राप्त हुआ। पत्रिका की रचनाओं में एक तरफ जहाँ 'रंगीला रे, तेरे रंग में.....यूँ रंगा है' हिंदी और अंग्रेजी साहित्य से संबंधित सूक्ष्म जानकारी देता है वहीं 'किन्नर का विवाह' एक अनोखी प्रथा से पाठकों का ज्ञानवर्धन करता है। पत्रिका की अन्य रचनाएं भी उत्कृष्ट हैं। पत्रिका में क्षेत्रीय कार्यालयों के विवरण का समावेश मुख्यालय के 'सबके साथ हिंदी का विकास' की भावना को दर्शाता है।

पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए संपादक मंडल को बधाई एवं इसकी उत्तरोत्तर प्रगति की शुभकामनाएं।

पथिकृत पंडित
उप निदेशक
उप क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम, बैरकपुर

आपकी पत्रिका **'पंचदीप भारती'** के 11वें अंक की प्राप्ति हुई। इसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद। पत्रिका में डॉ. पन्ना प्रसाद, श्री मुकुल वत्स, श्री प्रणव कुमार, डॉ. जगदीश डागर, श्री श्याम सुंदर कथूरिया, श्री उमाशंकर मिश्र, श्री राजकुमार एवं श्री क्षेत्रपाल शर्मा की रचनाएं प्रशंसनीय हैं। विभिन्न चित्रों की झलकियाँ और आयोजनों के चित्र आकर्षक हैं। क.रा.बी. निगम अस्पताल, तिरुनेलवेल्ली में तैनात हिंदी सेवी श्री अमित कुमार की कार्यनिष्ठा हेतु हार्दिक अभिनंदन है। इसी प्रकार पत्रिका में अन्य अनुकरणीय उदाहरणों को नियमित प्रस्तुत किया जाएगा तो यह राजभाषा कार्यान्वयन हेतु प्रेरणास्पद होगा।

पी. सुदर्शन्
उप निदेशक (राजभाषा प्रभारी)
उप क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम, नागपुर

आपकी हिंदी गृह पत्रिका 'पंचदीप भारती' के ग्यारहवें अंक की प्रति इस कार्यालय को प्राप्त हुई, धन्यवाद।

इस अंक में लेख, कविता एवं छायाचित्र अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं रोचक हैं। फिर भी प्राचीन भारतीय विज्ञान और प्रख्यात वैज्ञानिक, किन्नर का विवाह, रंगीला रे तेरे रंग में ..... रंगा है, विश्व हिंदी दिवस की महत्ता आदि रचनाएं विशेष रूप से प्रशंसनीय हैं। पत्रिका की प्रिंटिंग एवं मुख्य पृष्ठ आकर्षक हैं। कार्यालय के विविध कार्यकलापों के छायाचित्र पत्रिका की शोभा बढ़ा रहे हैं।

पत्रिका के प्रकाशन कार्य से जुड़े संपादक मंडल एवं सभी रचनाकारों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए हार्दिक बधाइयाँ। पत्रिका के आगामी अंक के लिए शुभकामनाएं।

बलदेव राज
उप निदेशक (राजभाषा प्रभारी)
उप क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम, जालंधर

मुख्यालय द्वारा प्रकाशित एसिक हिंदी गृह पत्रिका 'पंचदीप भारती' का ग्यारहवां संस्करण सहर्ष प्राप्त हुआ। पत्रिका की साज–सज्जा आकर्षक तथा मुद्रण उच्च कोटि का है। प्रकाशित गृह पत्रिका 'पंचदीप भारती' रोचकता और रचनात्मकता से फलीभूत है, जो अत्यंत प्रशसंनीय है। विशेषकर राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 पर डॉ. पन्ना प्रसाद जी की रचना सीखने योग्य है, अधिनियम की पृष्ठभूमि, दोस्त, गलती तथा विशेष उपलब्धि अच्छा लगा। इस 'पंचदीप भारती' पत्रिका के कुशल तथा सफल संपादन हेतु रचनाकारों एवम् संपादक मंडल को कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उप क्षेत्रीय कार्यालय, औरंगाबाद की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

डी.टी. उंदिरवाडे
प्रभारी संयुक्त निदेशक
उप क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम, औरंगाबाद

मुख्यालय से प्रकाशित एसिक हिंदी गृह पत्रिका 'पंचदीप भारती' वर्ष 2016, अंक–11 की प्रति प्राप्त हुई, धन्यवाद। पत्रिका का आवरण पृष्ठ मन को मोह लेने वाला है। पत्रिका की साज–सज्जा और मुद्रण उच्च स्तरीय है। पत्रिका में विविध विषयों की रचनाओं का समावेश है। पत्रिका में प्रकाशित लेख शिक्षाप्रद, ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी हैं। रचनाओं में 'राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3', 'सामाजिक सुरक्षा व्याप्ति के विस्तार ..... क.रा.बी. निगम की प्रतिबद्धता', 'विश्व हिंदी दिवस की महत्ता', 'कद और हद' एवं 'सुविधाओं का जंजाल' विशेष रूप से प्रशंसनीय हैं। कार्यालय में संपन्न विभिन्न कार्यकलापों के चित्र पत्रिका को और अधिक सूचनात्मक और रुचिकर बनाते हैं। पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु संपादक मंडल एवं रचनाकारों को हार्दिक बधाई और आगामी अंक के लिए शुभकामनाएं।

पी.के. नरूला
संयुक्त निदेशक (प्रभारी)
उप क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम, लुधियाना

न रा
का स
उपक्रम दिल्ली

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), दिल्ली

(राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार)

सचिवालय : स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड

16वाँ तल, स्कोप मीनार, कोर–2, नार्थ टॉवर, लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक्ट सेण्टर, दिल्ली 110 092

गृह पत्रिका पुरस्कार

सहर्ष प्रमाणित किया जाता है कि..... कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय .....

की पत्रिका ..... पंचदीप भारती ..... को दिल्ली स्थित उपक्रमों की

गृह पत्रिका प्रतियोगिता में वर्ष ..... 2015 - 16 ..... के लिए ..... प्रथम .....

पुरस्कार प्रदान किया गया।

सदस्य सचिव
नराकास (उपक्रम), दिल्ली

निदेशक (कार्यान्वयन)
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय, नई दिल्ली

अध्यक्ष
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
(उपक्रम), दिल्ली

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

''हिन्दी कार्यशाला''

निगम कार्यालयों/अस्पतालों के अधिकारियों के लिए

(उत्तर अंचल)

दिनांक : 16 जुलाई 2016

स्थान : देहरादून, उत्तराखण्ड

स्वस्थ कार्यबल समृद्ध भारत

आईपी

वीआईपी

ईएसआईसी-2.0
चिंता से मुक्ति

ईएसआई योजना के अंतर्गत मिलने वाले हितलाभ

चिकित्सा हितलाभ
बीमायोग्य रोजगार में शामिल होने की तिथि से स्वयं एवं परिवार के लिए उचित चिकित्सा देखरेख।

बीमारी हितलाभ
दो निरंतर हितलाभ अवधियों में 91 दिनों तक चिकित्सा छुट्टी के दौरान औसत दैनिक वेतन का 70 प्रतिशत नकद भुगतान।

मातृत्व हितलाभ
मातृत्व छुट्टी के दौरान प्रसूति में 12 सप्ताह तक एवं गर्भपात के मामले में 6 सप्ताह तक 100 प्रतिशत औसत दैनिक वेतन। इस अवधि को 26 सप्ताह तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

अपंगता हितलाभ
आंशिक अपंगता के मामले में चोट ठीक होने तक और स्थायी अपंगता के मामले में जीवनभर मासिक पेंशन का भुगतान।

आश्रितजन हितलाभ
रोजगार के दौरान मृत्यु के मामले में आश्रितजनों के बीच नियत अनुपात में मासिक पेंशन का बंटवारा।

बेरोजगारी भत्ता
रोजगार की अनैच्छिक हानि या गैर–रोजगार चोट के कारण स्थायी अशक्तता के मामले में अधिकतम 12 माह की अवधि के लिए मासिक नकद भत्ता।

व्यावसायिक प्रशिक्षण
रोजगार के दौरान चोट लगने से हुई अपंगता के मामले में वसूला गया वास्तविक शुल्क या ₹ 123/- प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान।

वृद्धावस्था चिकित्सा देखभाल
क.रा.बी. अस्पतालों में सेवानिवृत्त/सेवा पूरी कर चुके बीमाकृत व्यक्तियों के लिए चिकित्सा हितलाभ।

प्रसूति व्यय
जहां क.रा.बी. चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन मामलों में ₹ 5000/- प्रति मामले।

शारीरिक पुनर्वास
रोजगार के दौरान चोट के कारण शारीरिक अपंगता के मामले में 100 प्रतिशत औसत दैनिक वेतन किसी कृत्रिम अंग केंद्र में व्यक्ति के दाखिल रहने तक।

अंत्येष्टि व्यय
मृतक बीमाकृत व्यक्ति की अंत्येष्टि के लिए मूल व्यय जो नकद अधिकतम ₹ 10,000/- है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
भारत सरकार
Ministry of Labour & Employment
Government of India
Website: www.labour.gov.in
www.facebook.com/labourministry @labourministry

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110002
वेबसाइट: www.esic.nic.in, www.esic.in, www.esichospitals.gov.in
www.facebook.com/esichq @esichq

अधिक जानकारी के लिए, नजदीकी ईएसआईसी कार्यालयों/औषधालयों/अस्पतालों में सम्पर्क करें अथवा हमारी वेबसाइट: **www.esic.nic.in, www.esic.in, www.esichospitals.gov.in** पर लॉग ऑन करें या टोल फ्री नं. **1800 11 2526** पर कॉल करें।